निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 श्रावण 1943 (श0)

(सं0 पटना 678) पटना, सोमवार, 9 अगस्त 2021

fof/k foHkkx

अधिसूचना

9 अगस्त 2021

सं० एल०जी०–01–15/2021–4293/लेज।––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 6 अगस्त 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

fcgkj&jkT;iky d vkn'k l]
पी०सी०चौधरी,
ljdkj d lfpoA

[*fcgkj vf/kfu;e 21] 2021*]

fcgkj [ksy fo'ofo|ky; vf/kfu;e] 2021

बिहार राज्य में शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन और खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही चयनित खेलों के लिए उच्च स्तरीय शोध प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से तथा इससे संबंधित अथवा इसके आनुषंगिक विषयों के लिए बिहार खेल विश्वविद्यालय के नाम से एक खेल विश्वविद्यालय को स्थापित और सम्मिलित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1- laf{kIr uke] foLrkj ,oa izkjEHk %

(i) यह अधिनियम बिहार खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

*2- ifjHkk"kk,¡ %&*इस अधिनियम में, जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(i) ***fon~;k ¼,dMfed½ ,oa fØ;kdyki ifj"kn~ ¼,fDVfoVh dkmfUly½*** से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की विद्या एवं क्रियाकलाप परिषद्;

(ii) ***,dMfed LVkQ*** से अभिप्रेत है, स्टाफ की ऐसी कोटियां, जैसा कि कानून (स्टेट्यूट) द्वारा एकेडेमिक स्टाफ के रूप में विहित हों;

(iii) ***'kS{kf.kd o"kZ*** से अभिप्रेत है, जैसा कि कानून द्वारा यथा विहित विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वर्ष;

(iv) *^^lEc/ku ¼vfQfy,'ku½*** से अभिप्रेत है इस प्रयोजनार्थ विरचित कानूनों एवं विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त सम्बंधन;

(v) *^^lEc) laLFkku*** से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा यथा संबद्ध खेल शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, खेल प्रबंधन, खेल प्रशिक्षण एवं अन्य ऐसे कार्यक्रमों के क्षेत्र में उच्च शिक्षा का संस्थान;

(vi) ***Lok;Ùk laLFkku*** से अभिप्रेत है, ऐसे संस्थान, जिन्हें सम्बद्ध कानूनों के अंतर्गत विहित उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा स्वायत्त घोषित किया गया है;

(vii) ***dqykf/kifr*** से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;

(viii) *^^eq[;ea=h*** से अभिप्रेत है, बिहार का मुख्यमंत्री;

(ix) *^^egkfo|ky; ¼dkWyst½^^* से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के अंतर्गत स्थापित अथवा सम्पोषित अथवा गृहीत या राज्य सरकार द्वारा सम्पोषित शैक्षणिक संस्था;

(x) ***foHkkx*** से अभिप्रेत है, अध्ययन केन्द्र सहित विश्वविद्यालय का विभाग;

(xi) ***deZpkjh*** से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी;

(xii) ***dk;Z ifj"kn*** (एक्जेक्यूटिव काउंसिल) से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्;

(xiii) ***ladk;** ¼QSdfYVh½* से अभिप्रेत है, कानून द्वारा यथा परिभाषित विश्वविद्यालय का संकाय;

(xiv) ***foÙk lfefr*** से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की वित्त समिति;

(xv) *^^fuf/k*** से अभिप्रेत है, धारा 31 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय निधि;

(xvi) ***lkekU; ifj"kn*** (जनरल काउंसिल) से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का सामान्य परिषद्;

(xvii) ***ljdkj*** से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(xviii) ***foHkkxk/;{k*** से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के किसी अध्ययन विभाग का अध्यक्ष;

(xix) ***laLFkk*** से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों द्वारा सम्पोषित अथवा गृहीत कोई शैक्षणिक संस्था अथवा कोई महाविद्यालय/विद्यालय/केन्द्र;

(xx) ***vopkj*** से अभिप्रेत है, कानूनों द्वारा विहित अवचार;

(xxi) ***vf/klwpuk*** से अभिप्रेत है, शासकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना;

(xxii) ***njLFk ifjlj*** (आउटलाइंग कैम्पस) से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय परिसर, जिसे बिहार राज्य के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया है;

(xxiii) ***izkpk;Z*** से अभिप्रेत है, महाविद्यालय (कॉलेज) का प्रधान और इसमें शामिल है, जहाँ कोई प्राचार्य नहीं है, तो वैसा व्यक्ति, जिसे प्राचार्य के रूप में कार्य सम्पादन हेतु तत्समय के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है;

(xxiv) ***[ksy ¼LikWVZl½ esa 0;kolkf;d 'kS{kf.kd ikB;Øe*** से अभिप्रेत है, खेलकूद के विभाग को साकल्यवादी (हॉलिस्टिक) युक्त शिक्षा, जिसमें विशिष्ट प्रशिक्षण अथवा हुनर हो

और इसमें खेल विज्ञान एवं मेडिसिन, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन और खेल प्रशिक्षण, अन्तः विषयक अध्ययन, योगिक विज्ञान तथा अन्य ऐसे सुसंगत पाठ्यक्रम शामिल हैं;

(xxv) **ekU;rk ikIr f'k{kd** से अभिप्रेत है, ऐसे व्यक्ति, जिनको विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के संदर्भ में गृहीत किसी महाविद्यालय अथवा संस्था में शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा अच्छा समझा गया है;

(xxvi) **fofu;e** से अभिप्रेत है, वैसे विनियम, जो तत्समय प्रवृत्त होने की दृष्टि से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा विरचित किये गए हैं;

(xxvii) **Ldy** से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के अध्ययन संबंधी स्कूल;

(xxviii) **Nkuchu lfefr** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 11 (3) के अधीन यथा गठित समिति;

(xxix) **Lo&foÙkiks"k.k lLFkk** से अभिप्रेत है, वैसी संस्थाएं, जो किसी न्यास (ट्रस्ट) अथवा किसी सोसाइटी द्वारा स्थापित हों;

(xxx) **jkT;** से अभिप्रेत है, बिहार राज्य;

(xxxi) **dkuu ¼ifjfu;e½ ,o v/;kn'k** से अभिप्रेत है, क्रमशः तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के कानून (परिनियम) एवं अध्यादेश;

(xxxii) **fo'ofo|ky; d f'k{kd** से अभिप्रेत है, प्रोफेसर, सम्बद्ध प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें विश्वविद्यालय में अथवा किसी दूरस्थ परिसर, कॉलेज अथवा संस्था में और विश्वविद्यालय द्वारा सम्पोषित ऐसी संस्था में शिक्षा प्रदान करने, प्रशिक्षण देने अथवा शोध करने के लिए नियुक्त किए गए हैं तथा अध्यादेश द्वारा शिक्षकों के रूप में नामित किया गया हो;

(xxxiii) **fo'ofo|ky;** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन किसी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित एवं निगमित बिहार खेल विश्वविद्यालय;

(xxxiv) **fo'ofo|ky; vunku vk;kx** से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम–3) की धारा–4 के अधीन स्थापित आयोग;

(xxxv) **dyifr** से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलपति; और

(xxxvi) जिन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का यहां इस्तेमाल किया गया है और जिन्हें अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, उनके बारे में इस अधिनियम में वहीं अर्थ क्रमशः दिए गए हैं।

3- fuxeu ¼bdkikj'ku½ A&

(i) ऐसी तिथि के प्रभाव से, जैसा कि सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निश्चित करे, बिहार खेल विश्वविद्यालय के नाम से किसी विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं कुलपति, सामान्य परिषद्, कार्य परिषद् और एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् के प्रथम सदस्य होंगे तथा ऐसे सभी व्यक्ति, जिन्हें ऐसे कार्यालय में इसके आगे नियुक्त किए जाएं और जबतक वे ऐसे कार्यालय में कार्यरत रहें अथवा उनकी सदस्यता कायम रहे;

(ii) पूर्वोक्त नाम से विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा, जिसमें सम्पत्ति को अर्जित करने, धारण करने एवं बेचने तथा संविदा करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन शक्ति के साथ शाश्वत उत्तराधिकार एवं कॉमनसील होगी तथा उक्त नाम से वाद करने अथवा वाद होगा;

(iii) विश्वविद्यालय का मुख्यालय बिहार राज्य के राजगीर में स्थित होगा।

4- {k=kf/kdkj A&

(i) विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा;

(ii) शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन, इत्यादि के क्षेत्र में और खेल शिक्षा एवं प्रबंधन के क्षेत्र में संकायों के स्थापित करने के लिए सरकार में एवं निजी क्षेत्र (प्राईवेट सेक्टर) में संस्थाओं को स्थापित करने के लिए सम्बद्धक विश्वविद्यालय;

(iii) सरकार द्वारा स्थापित सभी खेल शिक्षा अभिमुख संस्थाओं तथा राज्य के मौजूदा विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध घटक अथवा भविष्य में शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन, इत्यादि प्रदान करने के संदर्भ में स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय उस तिथि से सम्बद्ध होने के पात्र होंगे, जैसा कि सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इसके संदर्भ में बनाए गए कानूनों (परिनियमों) अथवा अध्यादेशों अथवा विनियमों द्वारा विहित रीति से;

(iv) तत्समय प्रवृत्त राज्य की किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी कर, शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन, इत्यादि प्रदान करने वाले वैसे संस्थाओं और राज्य विधान मंडल की विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता को उस विश्वविद्यालय से

सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी, जिससे ऐसे संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान की गई है और ऐसे संस्थाओं को विश्वविद्यालय से ऐसी तिथि से सम्बद्ध समझा जायेगा, जैसा कि उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो;

(v) विश्वविद्यालय ऐसे संस्थाओं के ऊपर ऐसे नियम एवं शर्त्तों को लगा सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे, जो विश्वविद्यालय के सभी अथवा किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक अथवा आनुषंगिक हो और तब सम्बद्धता प्रदान करेगा;

(vi) शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी और खेल प्रबंधन इत्यादि प्रदान करने वाली स्वतः वित्तपोषण संस्था के रूप में किसी न्यास (ट्रस्ट) अथवा सोसाइटी द्वारा स्थापित मौजूदा संस्थाओं को विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता (लिबर्टी) होगी। विश्वविद्यालय इसके संदर्भ में विरचित कानूनों (परिनियमों), अध्यादेश एवं विनियमों के अधीन दी गई शर्त्तों को पूरा करने के अध्यधीन विचार करेगा और शर्त्तों के साथ सम्बंधन प्रदान करेगा;

(vii) राज्य खेल एकेडमी, राजगीर, बिहार खेल विश्वविद्यालय का अंग होगा।

5- fo'ofo|ky; ds mís'; gksaxs A&

(i) बिहार को खेल के क्षेत्र में शक्तिशाली बनाना;

(ii) खेल के अग्रवर्त्ती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान, आधुनिक खेल एवं प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट डिजाईन के एकेडमिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रदान करने के माध्यम से शोध एवं विकास तथा ज्ञान के प्रचार–प्रसार के लिए मंच (प्लेटफॉम) का सृजन करना;

(iii) खेल एवं शारीरिक शिक्षा के हॉलिस्टिक (समग्र) विकास हेतु उच्च स्तरीय शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों का व्यापक रूप (पूल) सृजित करना;

(iv) उच्च स्तरीय खेल पेशेवर एवं खेल तकनीकी विशेषज्ञों का व्यापक रूप (पूल) सृजित करना;

(v) बिहार खेल नीति, खेल योजना, खेल क्रिया–कलापों आदि के विकास हेतु विशेषज्ञ दल (थिंक टैंक) के रूप में कार्य सम्पादन;

(vi) शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन एवं खेल कोचिंग, साथ ही परम्परागत और राष्ट्रीय स्तर के खेलों को बढ़ावा देना;

(vii) सभी खेलकूदों एवं खेलों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञानों, खेल प्रौद्योगिकी एवं उच्च स्तरीय कार्यान्वयन प्रशिक्षण के क्षेत्रों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना;

(viii) सभी खेलकूदों एवं खेलों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञानों, खेल प्रौद्योगिकी एवं उच्च स्तरीय कार्यान्वयन के क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध के प्रयोजनार्थ खेल एकेडमियों, स्कूलों, कॉलेजों, खेल एवं मनोरंजन क्लब, खेल एसोसियेशनों एवं अंतरराष्ट्रीय फेडरेशनों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करना;

(ix) सभी खेल विधाओं एवं खेलों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञानों, खेल प्रौद्योगिकी एवं उच्च स्तरीय कार्यान्वयन प्रशिक्षण के क्षेत्रों में योग्य पेशेवरों को तैयार करना;

(x) शारीरिक शिक्षा, खेल प्रौद्योगिकी, खेल विज्ञानों, इत्यादि में सभी खेल विधाओं एवं खेलों तथा इनोवेशन (नवाचार) के एलीट एवं अन्य प्रतिभा सम्पन्न खिलाड़ियों के लिए विशिष्ट केन्द्र के रूप में सेवा प्रदान करना;

(xi) ऐसे अन्य उद्देश्यों, जो इस अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत नहीं है, जिन्हें राज्य सरकार, इसके पक्ष में विशेषकर, राजपत्र में अधिसूचना जारी कर, उल्लेख कर सकेगी।

6- fo'ofo|ky; dk fuEufyf[kr 'kfDr;k¡ ,oa d`R; gksaxs] ;Fkk %&

(i) विश्वविद्यालय का प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय कार्य का वहन करना और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुदेशन एवं शोध जैसे आवश्यक हेतु ऐसी संस्थाओं और केन्द्रों को स्थापित करना;

(ii) संस्थाओं की स्थापना करना एवं रख–रखाव करना;

(iii) कानूनों (परिनियमों) द्वारा विहित रीति में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना, रख–रखाव अथवा मान्यता प्रदान करना;

(iv) शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अनुप्रयुक्त खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन एवं सहबद्ध क्षेत्रों में आने वाले ज्ञान अथवा जानकारी संबंधी ऐसी शाखाओं में अनुदेशन, प्रशिक्षण और शोध के लिए व्यवस्था करना;

(v) योजना बनाना, डिजाइन करना, विकास करना और अध्ययन पाठ्यक्रम विहित करना और शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी खेल प्रबंधन, इत्यादि में समुचित एकेडमिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना तथा समय–समय पर विश्वविद्यालय जैसा कि ज्ञानवर्धन

संबंधी ऐसी शाखाओं में अनुदेशन एवं प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करना तथा शोध कार्य के लिए और जानकारी संबंधी अग्रवर्त्ती एवं प्रचार–प्रसार हेतु प्रावधान करना;

(vi) विश्वविद्यालय जैसा निर्धारित करे, वैसी शर्त्तों के अध्यधीन डिप्लोमा, अथवा प्रमाण पत्र प्रदान करना और लोगों को परीक्षा, मूल्यांकन अथवा किसी अन्य जांच तरीके के आधार पर डिग्री अथवा अन्य एकेडेमिक उपाधि प्रदान करना तथा सही एवं पर्याप्त कारण की वजह से ऐसे प्रमाण पत्रों, डिप्लोमा, डिग्रियां अथवा अन्य एकेडमिक उपाधियों का वापस लेना;

(vii) शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल मेडिसिन, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन और अन्य संबंधित क्षेत्रों के क्षेत्रों में अभिनव प्रयोगों का संचालन करना तथा नई पद्धतियों एवं प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना;

(viii) नये सहबद्ध पाठ्यक्रम अथवा शोध कार्यक्रम अथवा डिप्लोमा अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करना तथा किसी पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम को बंद करना;

(ix) विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर के खिलाडियों को प्रशिक्षण प्रदान करने, कोचिंग देने और अन्य बैकअप की व्यवस्था करना;

(x) सिखाने एवं प्रशिक्षण सामग्री की तैयारी करने, साथ ही फिल्मों, कैसेटों, टेपों, विडियो कैसेटों एवं अन्य सॉफ्टवेयर की सुविधा प्रदान करना;

(xi) शिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं, अन्य एकेडमिक स्टाफों एवं विद्यार्थियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, वर्कशॉपों, सेमिनारों और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना;

(xii) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय की राय में यथा आवश्यक शोध, सिखाने और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ऐसे दूरस्थ परिसरों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं अथवा अन्य इकाइयों की कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के साथ स्थापित करना एवं रख–रखाव करना;

(xiii) कानूनों (परिनियमों) द्वारा विहित रीति से मानद उपाधियाँ अथवा अन्य विशिष्टियाँ प्रदान करना, स्थापित करना और पुरस्कार प्रदान करना;

(xiv) प्राचार्य, प्राध्यापक (प्रोफेसर), सह प्राध्यापक (एसोसियेट प्रोफेसर), सहायक प्रध्यापक (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) और अन्य शिक्षण अथवा एकेडमिक पदों, जो विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हो, को सृजित करना अथवा ऐसे प्राचार्य, प्राध्यापक (प्रोफेसर), सह प्राध्यापक (एसोसियेट प्रोफेसर), सहायक प्रध्यापक (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) अथवा अन्य शिक्षक अथवा एकेडेमिक पदों पर लोगों की नियुक्ति करना;

(xv) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में देश के बाहर अवस्थित जगहों सहित किसी विश्वविद्यालय अथवा एकेडमिक संस्था में कार्यरत व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(xvi) प्रशासनिक एवं अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;

(xvii) संविदा पर अथवा अन्यथा अभ्यागत प्रोफेसरों, मानद प्रोफेसरों, परामर्शदाताओं और ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से सहयोग प्रदान करें, नियुक्त करना;

(xviii) याचना करना और फीसों और अन्य चार्जों के भुगतान को प्राप्त करना;

(xix) सभी कोटियों के कर्मचारियों की सेवा शर्त्तों, साथ ही उनकी आचार संहिता निर्धारित करना;

(xx) उपकृतियाँ, दानों एवं उपहारों को प्राप्त करना और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, चल–अचल किसी सम्पत्ति, साथ ही ट्रस्ट एवं दान की गई सम्पत्तियों को विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ अर्जित करना, धारण करना और प्रबंध करना तथा बेचना;

(xxi) विश्वविद्यालय के हित, क्रिया–कलापों और उद्देश्यों के अनुरूप, ऐसी शर्त्तों पर, जैसा कि यह उचित समझे, विश्वविद्यालय की सभी चल–अचल सम्पत्तियों अथवा उसके अंश को बेचना, अदला–बदली करना, पट्टे अथवा अन्यथा निपटाने का कार्य करना। बशर्ते अचल संपत्तियों के मामले में राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी ली गयी हो;

(xxii) विश्वविद्यालय वैसी शर्त्तों एवं बंधेजों पर जैसा कि वह उचित समझे, किसी भूमि अथवा भवन अथवा खेल कम्पलेक्स अथवा खेल आधारभूत संरचना और वैज्ञानिक खेल शोध उपकरण अथवा इण्डोर स्टेडियम अथवा निर्माणों (वर्क्स) की खरीद अथवा पट्टे पर लेना तथा ऐसे किसी भवन अथवा निर्माण को बनाना, फेर–बदल करना और रख–रखाव करना।

(xxiii) खेलो इण्डिया स्कीम अथवा राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज एवं पहचान स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध प्रक्रियाओं एवं मानकों को नतीजा प्रदान करना;

(xxiv) कानूनों (परिनियमों) द्वारा निर्धारित रीति से किसी कॉलेज अथवा संस्था को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना;

(xxv) कानूनों (परिनियमों) द्वारा यथा निर्धारित ऐसी शर्त्तों के अध्यधीन भारत के अन्दर अथवा बाहर में किसी संस्था को उसके विशेषाधिकारों को स्वीकार करना, परन्तु किसी भी संस्था को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन को छोड़कर वैसा स्वीकार नहीं किया जायेगा;

(xxvi) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के अधीन किसी स्वीकृत संस्था में शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करना;

(xxvii) स्थापित अंतरराष्ट्रीय खेल फेडरेशन, राष्ट्रीय खेल फेडरेशन, भारतीय ओलम्पिक एसोसियेशन और भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के समन्वय के बीच अन्य के साथ खेल टूर्नामेन्ट्स और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के बारे में विश्वविद्यालय के छात्रों को अवसर प्रदान करना;

(xxviii) विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पेशेवर संगठनों या निकायों के साथ सम्पर्क स्थापित करना अथवा सदस्यता कायम करना;

(xxix) खेल से संबंधित सभी विषयों के संदर्भ में राज्य सरकार और अन्य स्तरीय संगठनों एवं राष्ट्रीय खेलकूद फेडरेशन के तकनीकी सलाहकार निकाय के रूप में कार्य सम्पादन करना; और

(xxx) इसके ऐसे सभी कार्य एवं चीजें करने जो इसके सभी अथवा किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक अथवा सहायक हो।

*7- fo'ofo|ky; fyax] tUMj] tkfr] iFk] itkfr vFkok oxl dk fopkj fd, fcuk lHkh d fy, [kyk jgxk A&*विश्वविद्यालय लिंग, जेन्डर, जाति, पंथ, प्रजाति अथवा वर्ग का विचार किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा और यह विश्वविद्यालय के लिए कानून की दृष्टि से उचित नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को नियुक्ति के लिए हकदार बनाने, उसमें कोई पदधारण करने अथवा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के रूप में प्रवेश करने अथवा यहाँ से स्नातक होने अथवा इसके किसी विशेषाधिकार का प्रयोग करने के लिए उसपर धार्मिक विश्वास अथवा वृत्ति के कारण किसी प्रकार की जाँच को अंगीकार करे या अधिरोपित करे;

परन्तु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को महिलाओं, शारीरिक अशक्त व्यक्तियों अथवा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों अथवा अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए नियोजन अथवा नामांकन हेतु विशेष उपबंध बनाने से निवारित किया गया नहीं समझा जाएगा।

*8- ukekdu e vkj{k.k A&*बिहार राज्य अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु समय–समय पर लागू उर्ध्वाधर आरक्षण के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखते हुए विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक संस्था एवं महाविद्यालय में पाठ्यक्रमवार एवं कोटिवार कुल सीटों का एक तिहाई महिला अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेगी।

परन्तु यह कि इस लाभ के लिए केवल बिहार राज्य के निवासी महिला ही पात्र होंगी। योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी शैक्षणिक सत्र में रिक्त सीटों को संगत कोटि (आरक्षित / गैर आरक्षित) के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। इन प्रावधानों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर यथापेक्षित आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

9- dykf/kifr ¼pkl yj½ %&

(i) बिहार के मुख्यमंत्री अपने पद के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।

(ii) कुलाधिपति, जब उपस्थित हो, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह (कॉनवोकेशन) एवं सामान्य परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(iii) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त, यथास्थिति, महाविद्यालय या संस्था, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं एवं उपकरणों और यथास्थिति, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था द्वारा संचालित परीक्षा, शिक्षण एवं किये गये अन्य कार्यों का भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे या जिन्हें वे निदेशित करे, निरीक्षण करवाने तथा, यथास्थिति, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था के प्रशासन अथवा वित्त से जुड़े किसी विषय के संबंध में दी गयी रीति से जाँच–पड़ताल करवाने का अधिकार होगा।

(iv) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, निरीक्षण करने अथवा जाँच करने संबंधी अपने इरादे से विश्वविद्यालय अथवा संस्था को सूचना देगा और यथास्थिति, विश्वविद्यालय या संस्था, ऐसी सूचना की प्राप्ति के बाद, को यह अधिकार होगा कि ऐसी सूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के अंतर्गत, जैसा वह आवश्यक समझे, कुलाधिपति को वैसा अभ्यावेदन दे।

(v) विश्वविद्यालय अथवा संस्था द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हों पर विचार करने के उपरांत, कुलाधिपति उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट ऐसा निरीक्षण अथवा जाँच पड़ताल करेगा।

(vi) जहाँ कुलाधिपति द्वारा निरीक्षण अथवा जाँच–पड़ताल का कार्य कराने का कारण बने, वहाँ विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने का हकदार होगा, जिसे उपस्थित होने एवं ऐसे निरीक्षण अथवा जाँच–पड़ताल में सुने जाने का हक होगा।

(vii) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण अथवा जाँच–पड़ताल के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को सम्बोधित करेगा, जैसा कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट है और कुलपति कार्य–परिषद् को कुलाधिपति के

दृष्टिकोण के बारे में ऐसे सुझाव के साथ जैसा कुलाधिपति उस पर होने वाली कार्रवाई के बारे में करना चाहते हैं।

(viii) कुलाधिपति, यदि विश्वविद्यालय से सहबद्ध किसी संस्था के बारे में निरीक्षण अथवा जाँच कार्य सम्पन्न हो गया है, ऐसे निरीक्षण अथवा जाँच कार्य के परिणाम के संदर्भ में उसके ऊपर उसके दृष्टिकोण और उसके ऊपर की जानेवाली कार्रवाई के बारे में जैसा कि उसका सुझाव हो, कुलपति के माध्यम से सम्बद्ध कार्य परिषद् को सम्बोधित करेगा।

(ix) कार्य परिषद् ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, के बारे में कुलाधिपति से कुलपति के माध्यम से संसूचित करेगा, जैसा कि उसने ऐसे निरीक्षण अथवा जाँच–कार्य के परिणाम के ऊपर कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया है।

(x) जहाँ कार्य–परिषद्, यथास्थिति, समुचित समय के भीतर कुलाधिपति की तुष्टि के बारे में कार्रवाई नहीं करती है, तो कुलाधिपति कार्य–परिषद् द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण अथवा उसके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, ऐसा निर्देश निर्गत करेगा जैसा कि वह उचित समझे और तब कार्य–परिषद् ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगी।

(xi) इस धारा के पूर्वोक्त उपबंधों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के कुलाधिपति लिखित रूप से आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी कार्यवाही को रद्द कर सकता है, जो इस अधिनियम, कानूनों (परिनियमों) अथवा विनियमों के अनुरूप नहीं है; परन्तु कि ऐसे आदेश देने के पहले, कुलाधिपति रजिस्ट्रार को बुलाकर कारण बताने को कहेगा कि ऐसे किसी आदेश को नहीं दिया जाए और यदि कोई कारण समुचित समय सीमा के भीतर प्रकट हो तो वह उस पर विचार करेगा/करेगी।

(xii) यदि किसी मामले के संदर्भ में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों अथवा पदाधिकारियों के बीच भिन्नता हों, जिन्हें अन्यथा समाधान नहीं किया जा सकता हो तो कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।

(xiii) कुलाधिपति में वैसी सभी शक्तियाँ निहित होंगी, जैसा कि कानूनों (परिनियमों) एवं विनियमों में विहित हों।

*10- fo'ofo|ky; d inkf/kdkjhx.k A&*विश्वविद्यालय के पदाधिकारी निम्नलिखित होंगे, यथा :–

(i) कुलपति;

(ii) संकायाध्यक्ष (डीन);

(iii) रजिस्ट्रार;

(iv) वित्त पदाधिकारी;

(v) परीक्षा–नियंत्रक;

(vi) ऐसे अन्य पदाधिकारीगण जिसे विश्वविद्यालय के पदाधिकारी होने के लिए कानूनों (परिनियमों) द्वारा घोषित किए जाएँ।

11- dyifr A&

(i) कुलपति प्रसिद्ध विद्वान होगा, जिसे खेल प्रशासन और/अथवा खेल प्रबंधन में व्यापक अनुभव हो और/अथवा जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति का प्रसिद्ध खिलाड़ी हो और जो मानव संसाधन विकास का पर्याप्त अनुभव रखता हो।

(ii) कुलपति की नियुक्ति अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित छानबीन समिति द्वारा अनुशंसित न्यूनतम तीन व्यक्तियों के पैनल से (वर्णमाला क्रम से नाम व्यवस्थित होंगे) कुलाधिपति द्वारा की जायेगी। परन्तु कि यदि वैसे अनुशंसित व्यक्तियों में से किसी एक को कुलाधिपति अनुमोदित नहीं करता है, तो वह पुनः अनुशंसा करने के लिए कह सकता है।

(iii) उप–धारा (2) में निर्दिष्ट छानबीन समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) में तीन सदस्यों की संख्या होगी, जिनमें से एक को कुलाधिपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा, एक कार्य–परिषद् द्वारा और एक का मनोनयन कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार द्वारा होगा। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य समिति का संयोजक (कॉनवेनर) होगा।

(iv) परन्तु कि समिति का कोई भी सदस्य विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होगा, परन्तु आगे यह कि पैनल वैसे उम्मीदवारों से बाहर के व्यक्तियों से बनाया जाएगा, जो अपना शैक्षणिक ब्यौरा (कुरिकुलम विटा) प्रस्तुत करते हैं अथवा खेल के क्षेत्र में कुछ ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा प्रायोजित हों।

(v) जब तक उप–धारा (3) लागू नहीं होती है, तब तक सरकार द्वारा प्रथम कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

(vi) कुलपति जिस तिथि को अपना पदभार ग्रहण करता है, उस तिथि से तीन वर्षों की कालावधि के लिए अपने पद पर बना रहेगा, परन्तु कि कुलपति की अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत कुलाधिपति कुलपति को अपने पद पर बने रहने के लिए ऐसी अवधि के वास्ते, जो एक वर्ष से

अनधिक हो, जैसा कि उल्लिखित हो अपेक्षा करेगा, परन्तु यह भी कि कुलपति के पद पर निरंतर बने रहने के लिए अधिकतम उम्र सीमा पचहत्तर वर्ष होगी।

(vii) कुलपति की सेवा के पारिश्रमिक एवं अन्य शर्त्तों को कानूनों (परिनियमों) द्वारा यथा विहित किया जाएगा।

(viii) यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा अन्यथा अथवा यदि वह अपने बुरे स्वास्थ्य के कारण अपने कर्त्तव्य के वहन करने में असमर्थ है अथवा कोई अन्य कारण से कुलपति का पद खाली हो जाता है , तब कुलाधिपति किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति को कुलपति के कृत्यों के वहन करने के लिए, यथास्थिति जब तक कि नया कुलपति अपना पदभार ग्रहण न कर ले अथवा मौजूदा कुलपति अपना पदीय कर्त्तव्यों के लिए उपस्थित है तब तक के लिए मनोनीत करने का प्राधिकार होगा।

12- dqyifr dh 'kfDr] dÙkZ0; ,oa dR; A&

(i) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक एवं एकेडेमिक पदाधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के निर्णयों को प्रभावी बनाएगा।

(ii) कुलपति यदि उसकी राय है कि किसी विषय पर तुरंत कार्रवाई अपेक्षित है, उस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के ऊपर किसी प्रदत्त शक्ति का उपयोग कर सकता है और ऐसे प्राधिकारी को अगली बैठक में अपने द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में वैसे विषय पर प्रतिवेदित करेगा।

परन्तु कि ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल आकस्मिक स्थितियों में ही किया जाएगा और सृजन के बारे में तथा पदोन्नति में और उसकी नियुक्तियों के बारे में नहीं।

परन्तु यह और कि यदि सम्बद्ध प्राधिकारी की राय है कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, तब इस विषय को कुलाधिपति के समक्ष पेश किया जा सकेगा और कुलाधिपति का उस पर निर्णय अंतिम होगा।

परन्तु यह भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में यदि कोई व्यक्ति इस उप–धारा के अधीन कुलपति के द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, तो जिस तिथि को ऐसी कार्रवाई के ऊपर निर्णय की जानकारी उसे दी गई है उस तिथि से तीन महीने के भीतर ऐसी कार्रवाई के विरूद्ध कुलाधिपति के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा और कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई का कुलाधिपति सम्पुष्ट करेगा, संशोधन करेगा अथवा विरूद्ध उलट देगा।

(iii) यदि कुलपति की राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय उस अधिनियम, कानूनों (परिनियमों) के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों से परे है और लिया गया कोई निर्णय विश्वविद्यालय के हित के विरूद्ध है तो कुलपति सम्बद्ध प्राधिकारी को ऐसे निर्णय के साठ दिनों के भीतर अपने निर्णय की समीक्षा करने को कहेगा और यदि प्राधिकारी उक्त साठ दिनों की अवधि के भीतर उस निर्णय को पूर्णतः अथवा अंशतः समीक्षा करने अथवा कोई कार्रवाई नहीं करने से इनकार करता है तब इस विषय को कुलाधिपति के पास भेज दिया जाएगा, जिनका उस पर निर्णय अंतिम होगा।

(iv) कुलपति ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निष्पादन करेगा, जैसा कि कानूनों (परिनियमों) में विहित किए जाएँ।

(v) कुलपति विश्वविद्यालय की कार्य–परिषद्, वित्त समिति, एकेडेमिक एवं क्रियाकलाप परिषद् का अध्यक्ष (चेयर पर्सन) होगा।

(vi) कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पीठासीन होगा और कार्य–समिति, एकेडेमिक परिषद् और वित्त समिति की अध्यक्षता करेगा।

13- dqyifr dk gVk;k tkuk A&

(i) यदि किसी समय में और ऐसी किसी जाँच–पड़ताल के बाद, जैसा कि आवश्यक समझा जाए और कुलाधिपति को यह लगता है कि कुलपति–

(क) ने इस अधिनियम, कानूनों (परिनियमों) के अधीन द्वारा, अथवा उसको सौंपे गए किसी कर्त्तव्य के निर्वहन में चूक की है, अथवा

(ख) ने विश्वविद्यालय के हितों के बारे में पूर्वाग्रह तरीके से कार्य किया है अथवा

(ग) विश्वविद्यालय के कार्यों के प्रबंधन में अक्षम हुआ है,

तो कुलाधिपति, तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति की पदावधि समाप्त नहीं हुई है, कारणों को लिखित रूप में बताकर आदेश द्वारा कुलपति से अपेक्षा करेगा कि वह आदेश में जैसा कि तिथि विनिर्दिष्ट हो उस तिथि से अपने पद को त्याग दें।

(ii) जिस विशेष आधार पर इस प्रकार की कार्रवाई का प्रस्ताव हुआ है उसको लिखित रूप में जब तक दिया नहीं जाता है और कुलपति को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण बताये जाने के बारे

में समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तब तक उप–धारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(iii) उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट तिथि को और उस तिथि से यह समझा जाएगा कि कुलपति ने पद को त्याग दिया है और कुलपति का पद खाली समझा जाएगा।

*14- ldk;k/;{k ¼Mhu½ A&*प्रत्येक संकायाध्यक्ष (डीन) को ऐसी रीति से और सेवा की ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा और वह कानूनों (परिनियमों) द्वारा यथा निर्धारित शक्तियों का उपयोग करेगा कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

15- jftLVªkj ½&

(i) रजिस्ट्रार की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसे निबंधन शर्त्तों पर की जाएगी, जैसा कि कानूनों (परिनियमों) में निर्धारित किया जाए। तथापि, विश्वविद्यालय का प्रथम रजिस्ट्रार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह तीन वर्षों की अवधि के लिए पद पर रहेगा।

(ii) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी तथा कानूनों (परिनियमों) द्वारा यथा निर्धारित ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।

*16- foÙk inkf/kdkjh A&*वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसे नियम एवं सेवा शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि कानूनों (परिनियमों) में निर्धारित किया जाए। तथापि, विश्वविद्यालय का प्रथम वित्त पदाधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा कानूनों (परिनियमों) द्वारा यथा निर्धारित वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति तक जो भी पहले हो पद पर रहेगा।

*17- ijh{kk fu;a=d A&*परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसे निबंधन एवं शर्त्तों पर की जाएगी, और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि कानूनों (परिनियमों) में निर्धारित किया जाए। तथापि, प्रथम परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी और वह तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा कानूनों (परिनियमों) द्वारा यथा निर्धारित परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति तक जो भी पहले हो, पद पर रहेगा।

*18- vU; inkf/kdkjhx.k A&*विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियों एवं कर्त्तव्यों को कानूनों (परिनियमों) द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

19- fo'ofo|ky; ds fuEufyf[kr izkf/kdkj gksaxs ;Fkk ½

(i) सामान्य परिषद्;
(ii) कार्य–परिषद्;
(iii) एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद्;
(iv) संबंधन–बोर्ड;
(v) वित्त–समिति;
(vi) ऐसे अन्य प्राधिकार, जैसा कि कानूनों (परिनियमों) द्वारा घोषित किया जाएगा, वे विश्वविद्यालय के प्राधिकार होंगे।

20- lkekU; ifj"kn ½

(i) *lkekU; ifj"kn esa fuEufyf[kr lnL; gksaxs ½*

(क) कुलाधिपति, जो सभापति होंगे;
(ख) मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार, जो उप सभापति होंगे;
(ग) मंत्री, वित्त विभाग, बिहार सरकार;
(घ) मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
(ङ.) कुलपति;
(च) मुख्य सचिव, बिहार सरकार;
(छ) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
(ज) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार;
(झ) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार;
(ञ) महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना;

(ट) रजिस्ट्रार;
(ठ) निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण; कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार;
(ड) निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
(ढ) निदेशक, राज्य खेल एकेडमी, राजगीर, नालंदा, बिहार;
(ण) प्रतिनिधि, भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली (संयुक्त सचिव के पद से निम्न नहीं हो);
(त) दो प्रसिद्ध खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त।

(ii) *fu;e ,oa 'krsZ&*

(क) जहाँ कोई व्यक्ति पद अथवा नियुक्ति जिसे वह धारण करता है, के कारण सामान्य परिषद् का सदस्य हो जाता है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी जब वह उस पद अथवा नियुक्ति को धारण करने से मुक्त हो जाता है;

(ख) पदेन सदस्यों के अलावा, सामान्य परिषद् के मनोनीत सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी;

(ग) यदि सामान्य परिषद् का कोई सदस्य त्याग पत्र देता है अथवा विक्षिप्त हो जाता है अथवा दिवालिया हो जाता है, अथवा नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त दांडिक अपराध में दोषसिद्ध होता है, तब वह सदस्य नहीं रह जाएगा। कुलपति और रजिस्ट्रार के अलावा कोई सदस्य भी सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है अथवा यदि वह पदेन सदस्य न होने की दशा में, कुलाधिपति की अनुमति (लीव) के बिना ही सामान्य परिषद् की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता है;

(घ) पदेन सदस्य के अलावा सामान्य परिषद् का कोई सदस्य कुलाधिपति को सम्बोधित पत्र द्वारा पद से त्यागपत्र दे सकता है और यह त्यागपत्र जैसे ही स्वीकृत हो जाता है, वैसे ही तुरंत प्रभावी होगा; और

(ड.) सामान्य परिषद् में कोई भी रिक्ति कालावधि की शेष अवधि के लिए संबंधित मनोनयन प्राधिकारी द्वारा मनोनयन के द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति की अवधि समाप्त होने पर, ऐसा मनोनयन प्रभावी नहीं रह जाएगा।

(iii) *vf/kfu;e dk mic/kk dk v/;/khu] lkekU; ifj"kn dk fuEufyf[kr 'kfDr;ka ,oa dR; gkxk] ;Fkk A&*

(i) सामान्य परिषद् विश्वविद्यालय का पूर्ण प्राधिकार होगा और विश्वविद्यालय की बोर्ड नीतियों एवं कार्यक्रमों को समय–समय पर सूत्रबद्ध एवं समीक्षा करेगा और विश्वविद्यालय के सुधार एवं विकास के लिए उपाय करेगा और इसके साथ निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य भी होंगे, यथा :–

(क) कार्य परिषद् द्वारा तैयार किए गए वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय विवरण और बजट प्राक्कलनों पर विचार करना एवं पारित करना तथा उन्हें संशोधन के साथ अथवा बिना स्वीकार करना;

(ख) विश्वविद्यालय के कार्यों के प्रशासन संबंधी कानूनों (परिनियमों) को बनाना, साथ ही विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों एवं पदाधिकारियों के कार्यों एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन में उनके द्वारा अनुसरण होने वाली प्रक्रियाओं को भी निर्धारित करना;

(ii) (क) सामान्य परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी और सामान्य परिषद् की वार्षिक बैठक कुलाधिपति द्वारा निर्धारित तिथि को आयोजित की जाएगी;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्य सम्पादन का प्रतिवेदन, साथ ही प्राप्तियों एवं व्यय, यथा अंकेक्षित तुलन–पत्र (बैलेंस शीट) और वित्तीय प्राक्कलनों के विवरण को भी विश्वविद्यालय की वार्षिक बैठक में कुलपति द्वारा सामान्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा;

(ग) सामान्य परिषद् की बैठकें कुलाधिपति के द्वारा उनके अपने प्रस्ताव पर अथवा सामान्य परिषद् के न्यूनतम दस सदस्यों की मांग पर बुलाई जाएगी;

(घ) सामान्य परिषद् की प्रत्येक बैठक के लिए चौदह दिनों की पूर्व सूचना दी जाएगी, तथापि आकस्मिक स्थितियों में परिषद् की बैठक अल्प सूचना पर कुलाधिपति द्वारा बुलाई जा सकती है;

(ड.) सामान्य परिषद् की सूची (रॉल) में से मौजूद सदस्यों की संख्या में से एक तिहाई होने पर कोरम पूरा होगा;

(च) प्रत्येक सदस्य का एक मत (वोट) होगा और यदि सामान्य परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मतों (वोटों) की संख्या बराबर हो जाती है, तब बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को अपने मत के अलावा एक निर्णायक मत होगा;

(छ) सामान्य परिषद् के सभापति अपनी अनुपस्थिति में सामान्य परिषद् के उप सभापति को अपनी शक्तियॉ प्रत्यायोजित करेंगे।

21- dk;Z&ifj"kn ,oa mlds fu;e ,oa 'krsZ A&

(i) कार्य–परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान कार्य–निकाय (बॉडी) होगा;

(ii) कार्य–परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :

(क) कुलपति, जो सभापति होंगे;

(ख) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार अथवा उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से निम्न नहीं हो;

(ग) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार अथवा उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से निम्न नहीं हो;

(घ) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार अथवा उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से निम्न नहीं हो;

(ङ.) निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार;

(च) निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;

(छ) रजिस्ट्रार;

(ज) राज्य खेल एकेडमी, राजगीर, नालंदा का प्रतिनिधि जो उप निदेशक के पद से निम्न नहीं हो;

(झ) निदेशक–सह–सचिव, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना;

(ञ) कुलाधिपति के द्वारा तीन शिक्षकों को मनोनीत किया जाएगा, जिसमें एक विभागाध्यक्षों में से होगा, एक प्रोफेसरों में से होगा और एक एसोसियेट प्रोफेसरों में से एक वर्ष की अवधि के लिए बारी–बारी से विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में से होगा।

(iii) *fu;e ,o 'krs A&*

(क) जहाँ कोई व्यक्ति पद अथवा नियुक्ति, जिसे वह धारण करता है, के कारण कार्य–परिषद् का सदस्य हो जाता है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, जैसे ही वह उस पद एवं नियुक्ति को धारण नहीं करता हो;

(ख) पदेन सदस्यों के अलावा, कार्य–परिषद् के मनोनीत सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी;

(ग) यदि कार्य–परिषद् का कोई सदस्य त्याग पत्र देता है अथवा विक्षिप्त हो जाता है अथवा दिवालिया हो जाता है अथवा नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त दांडिक अपराध में दोषसिद्ध होता है, तब वह सदस्य नहीं रह जाएगा। कुलपति और रजिस्ट्रार के अलावा कोई सदस्य भी सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है;

(घ) पदेन सदस्य के अलावा कार्य परिषद् का कोई सदस्य कुलपति का सम्बोधित पत्र के माध्यम से अपना पद त्याग कर सकता है और कुलपति द्वारा जैसे ही इस त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया जाता है वैसे ही ऐसा त्याग पत्र तुरंत प्रभावी होगा;

(ङ.) कार्य परिषद् में कोई भी रिक्ति कालावधि की शेष अवधि के लिए संबंधित मनोनयन प्राधिकारी द्वारा मनोनयन के माध्यम से भरी जाएगी।

(iv) *dk;&ifj"kn dh 'kfDr;k] dR; ,o cBd A&*

(क) कार्य–परिषद् विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक प्राधिकार होगा और इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए कानूनों, के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए सभी आवश्यक शक्तियाँ उसमें निहित होंगी और उस प्रयोजन के लिए तथा इसके अधीन उपबंधित विषयों के बारे में भी विनियम बनाए जा सकेंगे।

(ख) कार्य–परिषद् को निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे :–

(i) सामान्य परिषद् की वार्षिक बैठक के लिए निम्नलिखित तैयार करना और प्रस्तुत करना :–

I. विश्वविद्यालय के कार्य सम्पादन के बारे में प्रतिवेदन;

II. लेखा–विवरण; और

III. आगामी एकेडेमिक वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव।

(ii) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा, निवेश, सम्पत्ति, कारोबार और सभी अन्य प्रशासनिक कार्यों का प्रबंध करना एवं विनियमित करना और उस प्रयोजन के हेतु समितियों का गठन करना और विश्वविद्यालय की ऐसी समितियों और ऐसे पदाधिकारियों को शक्तियाँ सौंपना, जैसा कि वह उचित समझे;

(iii) विश्वविद्यालय की ओर से चल–अचल सम्पत्ति का अन्तरण करना अथवा अन्तरण स्वीकार करना;

(iv) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाओं को करना, उसमें हेर–फेर करना, कार्यान्वित करना और रद्द करना और उस प्रयोजनार्थ ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, जैसा वह उचित समझे;

(v) विश्वविद्यालय कार्य सम्पादन के लिए भवन, परिसर, फर्नीचर और उपकरण तथा अन्य जरूरी साधन उपलब्ध कराना।

(ग) ग्रहण करना, उस पर निर्णय लेना, जैसा यह उचित समझे, विश्वविद्यालय के छात्रों एवं कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करना;

(घ) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों को सृजित करना, ऐसे पदों की संख्या और पारिश्रमिकों का निर्धारण करना, ऐसी सेवा संबंधी निबंधन एवं शर्तों पर, जैसा कि इसके बारे में विनियमों द्वारा यथा विहित हो, ऐसे पदों के लिए नियुक्ति हेतु न्यूनतम अहर्ताओं को उल्लिखित करना;

(ङ) परीक्षकों और परिमार्जकों (मोडरेटर्स) की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटा देना तथा उसकी फीस, पारिश्रमिक और यात्रा एवं अन्य भत्ता एकेडेमिक परिषद् के परामर्श करने के पश्चात् निर्धारित करना;

(च) विश्वविद्यालय के लिए कॉमन सील का चयन करना; और

(छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना, जैसा कि इस अधिनियम के अधीन आवश्यक समझा जाय अथवा अधिरोपित किया जाय।

(v) (क) कार्य समिति की बैठक चार महीनों में कम से कम एक बार होगी और ऐसी बैठक के लिए चौदह दिनों की पूर्व सूचना दी जायेगी;

(ख) कार्य–परिषद् की बैठक कुलपति के अनुदेश के अधीन अथवा कार्य–परिषद् के न्यूनतम पाँच सदस्यों के अनुरोध पर रजिस्ट्रार द्वारा बुलायी जाएगी;

(ग) कार्य–परिषद् के सदस्यों में से आधे सदस्यों से किसी बैठक में कोरम पूरा होगा;

(घ) सदस्यों के बीच उनकी राय में भिन्नता होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगा;

(ङ) कार्य–परिषद् के प्रत्येक सदस्यों को एक मत (वोट) होगा और यदि कार्य परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी विषय पर मतों की संख्या बराबर हो तो यथास्थिति कार्य–परिषद् के सभापति अथवा बैठक में अध्यक्षता करने वाले सदस्य को अपने मत के अलावा एक निर्णायक मत होगा;

(च) कार्य–परिषद् की प्रत्येक बैठक में कुलपति द्वारा अध्यक्षता की जाएगी और कुलपति की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य अध्यक्षता करेगा;

(छ) यदि कार्य–परिषद् द्वारा अत्यावश्यक कार्रवाई करनी जरूरी हो जाए, तो कुलपति कार्य–परिषद् के सदस्यों को कागजात के परिचालन (सरकुलेशन) द्वारा कार्य निष्पादन के लिए अनुमति प्रदान करेगा। लिया गया यह निर्णय तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि सरल बहुमत द्वारा पारित न हो। इस प्रकार के निर्णयों को कार्य–परिषद् के सभी सदस्यों को तुरंत ही सूचित किया जाएगा। यदि किसी दशा में कार्य–परिषद् उस विषय पर निर्णय लेने में फेल हो जाएगी तब उक्त विषय को कुलाधिपति के समक्ष भेज दिया जाएगा और कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।

22- ,dMfed ,o ,fDVfoVh ifj"kn A&

(i) एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान एकेडेमिक निकाय होगा और इस अधिनियम, कानूनों (परिनियमों) एवं विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की एकेडेमिक नीतियों के ऊपर समन्वय स्थापित करेगी और सामान्य पर्यवेक्षण कार्य करेगी;

(ii) एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, यथा:–

(क) कुलपति, जो सभापति होगा;

(ख) संकायों का संकायाध्यक्ष (डीन);

(ग) निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार;

(घ) निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;

(ड.) राज्य खेल एकेडेमी, राजगीर, नालंदा के प्रतिनिधि (उप निदेशक के पद से निम्न नहीं);

(च) भारतीय ओलम्पिक संघ, का नामनिर्देशिती;

(छ) अध्ययन स्टॉफ में से चार सदस्य; खेल/अन्य शारीरिक शिक्षा कॉलेजों के विश्वविद्यालय के विभागों के क्रमशः प्रोफेसर, एसोसिएट एवं सहायक प्रोफेसरों में से प्रतिनिधित्व करने वाले एक–एक को विनिर्दिष्ट शर्त्तों के लिए कुलपति द्वारा मनोनीत;

(ज) प्रसिद्ध खिलाड़ियों अथवा विद्वानों अथवा विद्वत पेशे के सदस्यों में से कुलाधिपति द्वारा मनोनीत तीन व्यक्ति।

(iii) पदेन सदस्यों के अलावा सदस्यों की अवधि और उप धारा (1) के खण्ड (ज) द्वारा जिनकी अवधि विनिर्दिष्ट की गई है, वह तीन वर्षों की होगी।

(क) अधिनियम, कानूनों (परिनियमों) एवं विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन कार्य–परिषद्, एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् के समग्र पर्यवेक्षण से विश्वविद्यालय के एकेडेमिक कार्यों एवं क्रिया–कलापों को व्यवस्थित करेगा तथा खासकर, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं कृत्यों का निष्पादन करेगा यथा :

I. विश्वविद्यालय के अधीन शोध को बढ़ावा देना तथा समय–समय पर ऐसे शोध कार्य पर प्रतिवेदन देना;

II. संकायों द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों पर विचार करना;

III. छात्रवृत्ति, स्कोलरशिप, मेडल्स और पुरस्कार की अनुशंसा करना तथा विनियमों एवं ऐसी अन्य शर्त्तों के अनुसार अन्य एवार्ड तैयार करना, जो कि एवार्ड से जुड़ा हो;

IV. अध्ययन संबंधी निर्धारित पाठ्यक्रमों का पाठ्यक्रम (सिलेबस) अनुमोदित करना;

V. निर्धारित अथवा अनुशंसित पाठ्य पुस्तकों की सूची को अनुमोदित करना अथवा संशोधित करना;

VI. एकेडेमिक विषयों के संबंध में ऐसे सभी कर्त्तव्यों को पूरा करना और वैसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों, के समुचित कार्यान्वियन के लिए आवश्यक हो;

VII. सामान्य परिषद् अथवा कार्य परिषद् द्वारा इसे निर्दिष्ट अथवा सौंपे गए किसी विषय के बारे में प्रतिवेदित करना;

VIII. विश्वविद्यालय में पदों के सृजन, समापन अथवा वर्गीकरण तथा भुगतेय पारिश्रमिक एवं उससे जुड़े कर्त्तव्यों के बारे में कार्य परिषद् को अनुशंसा करना;

IX. संकायों के प्रबंध के लिए स्कीमों को सूत्रबद्ध करना और हेर–फेर करना अथवा संशोधित करना और ऐसे संकायों को उनके संबंधित विषयों को सुपुर्द करना तथा साथ ही किसी संकाय को समाप्त करने अथवा विभाजित करने अथवा किसी एक संकाय को दूसरे के साथ संयुक्त करने के बारे में भी प्रतिवेदित करना;

X. विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए नीतियों के बारे में सुझाव देना;

XI. अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की डिग्रियों को मान्यता देने के लिए अनुशंसा करना तथा विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्रों, डिप्लोमाओं तथा डिग्रियों के संबंध में उनकी समतुल्यता का निर्धारण करना;

XII. सामान्य परिषद् द्वारा स्वीकृत किसी शर्त्त के बारे में विषय निर्धारित करना और फेलोशिप, स्कॉलरशिप तथा अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतियोगिता के समय, तरीका और शर्त्तों को तय करना तथा उसके एवार्ड के लिए अनुशंसा करना;

XIII. परीक्षकों की नियुक्ति करने के संबंध में कार्य–परिषद् को अनुशंसा करना और जरूरी हो तो उनको हटाने, उनकी फीसों, पारिश्रमिकों एवं यात्रा एवं अन्य खर्चों की अनुशंसा करना;

XIV. परीक्षा संचालन करने और उनके आयोजन हेतु तिथियों की व्यवस्था करने के बारे में अनुशंसा करना;

XV. विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने अथवा समीक्षा करने अथवा वैसा करने के लिए समिति और पदाधिकारियों की नियुक्ति करने और डिग्रियों, ऑनर्सों, लाइसेंसों, उपाधियों और ऑनर्स–अंकों को प्रदान करने अथवा मंजूर करने के बारे में अनुशंसा करना;

XVI. ऐसे फारमों और पंजियों को अनुमोदित करना, जैसा कि समय–समय पर विनियमों द्वारा अपेक्षित है।

(ख) एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् की बैठकें अकसर होगी, जैसा कि जरूरी हो, किन्तु किसी एकेडेमिक वर्ष में, जैसा कि कानून (परिनियम) में परिभाषित हो, दो बार से कम नहीं;

I. एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् के मौजूदा सदस्यों में से आधे सदस्यों से एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् की बैठक के लिए कोरम पूरा होगा;

II. सदस्यों के बीच मतभिन्नता के मामले में, बहुमत का मत अभिभावी होगा;

III. एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् के प्रत्येक सदस्य, साथ ही एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् के सभापति को एक मत (वोट) होगा और यदि एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् द्वारा निर्धारित किये जाने वाले प्रश्न पर मत बराबर हो जाय तो यथास्थिति, एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् के सभापति अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को अपने मत के अलावा एक निर्णायक मत होगा;

IV. एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी और कुलपति की अनुपस्थिति में उस अवसर पर बैठक में किसी सदस्य का चयन अध्यक्षता करने के लिए किया जाएगा;

V. यदि एकेडमिक एवं एक्टिविटी परिषद् द्वारा आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक कार्रवाई करनी हो तब कुलपति एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् के सदस्यों को कागजात के परिचालन (सरकुलेशन) द्वारा कार्य–निष्पादन के लिए अनुमति प्रदान करेगा। लिया गया निर्णय तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि सरल बहुमत द्वारा पारित न हो जाए। इस प्रकार के निर्णयों को एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् के सभी सदस्यों को तुरंत ही सूचित किया जाएगा। यदि किसी दशा में एकेडेमिक एवं एक्टिविटी परिषद् उस विषय पर निर्णय लेने में असफल हो जाए तो उक्त विषय को कुलाधिपति के समक्ष भेज दिया जाएगा और कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।

(ग) एकेडमिक एवं एक्टिविटी परिषद् के कानूनों, विनियमों, नियमों और अन्य प्रासंगिक निर्णयों से संबंधित सभी मामलों को कार्यकारी परिषद् के माध्यम से सामान्य परिषद् को सूचित करेगा।

23- lcU/ku&ckM %&

(i) संबन्धन–बोर्ड विश्वविद्यालय के साथ संस्थाओं के सहबद्ध होने के लिए जिम्मेदार होगा।

(ii) संबन्धन–बोर्ड के विधान, इसके सदस्यों की पदावधि और इसके कृत्यों को कानूनों (परिनियमों) द्वारा विहित किया जाएगा।

*24- foÙk lfefr %&*वित्त समिति के विधान, शक्तियों और कृत्यों को कानूनों (परिनियमों) द्वारा विहित किया जाएगा।

*25- fo'ofo|ky; ds vU; izkf/kdkj %&*अन्य प्राधिकारों के विधान, शक्तियों और कृत्यों को, जैसा कि विश्वविद्यालय के होने वाले प्राधिकारों को कानूनों (परिनियमों) द्वारा घोषित किया जाए, कानूनों (परिनियमों) द्वारा विहित किया जाएगा।

*26- dkuuks dk cukus dh 'kfDr %&*इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, कानून (परिनियम) सबों के लिए अथवा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक के लिए हो सकेगा, यथा;

(i) विश्वविद्यालय के प्राधिकारों और अन्य निकायों के विधान, शक्तियाँ और कृत्य जो समय–समय पर गठित किया जाए;

(ii) उक्त प्राधिकारों एवं निकायों के सदस्यों की नियुक्ति एवं पद पर लगातार बने रहने, सदस्यों की रिक्तियों को भरने और उन प्राधिकारों और अन्य निकायों से संबंधित सभी विषयों, जिसके लिए यह आवश्यक हो अथवा प्रदान करने हेतु वांछनीय हो;

(iii) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियों और कृत्यों तथा उनके पारिश्रमिक;

(iv) विश्वविद्यालय के शिक्षक, एकेडेमिक स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, पारिश्रमिक एवं सेवा–शर्तें;

(v) संयुक्त परियोजना शुरू करने के लिए, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा संगठन में कार्य करने वाले शिक्षकों एवं एकेडेमिक स्टाफ की नियुक्ति;

(vi) कर्मचारियों की सेवा–शतों, साथ ही पेंशन, बीमा, भविष्यनिधि, सेवा से हटाए जाने की रीति और अनुशासनिक कार्रवाई;

(vii) विश्वविद्यालय कर्मचारियों की सेवा की वरीयता बनाये रखने संबंधी सिद्धांत;

(viii) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद संबंधी मामलों में मध्यस्थता के लिए प्रक्रिया;

(ix) विश्वविद्यालय किसी पदाधिकारी अथवा प्राधिकारी की कार्रवाई के विरूद्ध अपील की प्रक्रिया;

(x) किसी संस्था अथवा किसी विभाग पर स्वायत्त नाम प्रदान करना;

(xi) संस्थाओं और विभागों में अध्ययन केन्द्रों की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;

(xii) सम्मानिक उपाधियों प्रदान करना;

(xiii) डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण पत्रों और अन्य एकेडेमिक विशिष्टियाँ प्रदान करना और वापस लेना;

(xiv) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित एवं सम्पोषित कॉलेजों, संस्थाओं, अध्ययन केन्द्रों और दूरस्थ परिसरों का प्रबंधन;

(xv) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों अथवा पदाधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(xvi) कर्मचारियों और छात्रों के बीच अनुशासन कायम रखना;

(xvii) फेलोशिप, स्कोलरशिप, छात्रवृत्ति, मेडल्स और पुरस्कारों एवं अन्य प्रोत्साहन, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों अथवा पदाधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(xviii) विश्वविद्यालाय के कर्मचारियों के लाभ के लिए पेन्शन अथवा भविष्य निधि और बीमा स्कीम की स्थापना संबंधी विधान;

(xix) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की वरीयता को बनाये रखने संबंधी सिद्धांत; और

(xx) इस अधिनियम द्वारा है अथवा होने वाले सभी अन्य विषयों को मुहैया करना, कानूनों और विनियमों द्वारा।

27- dkuu ¼ifjfu;e½] fdl rjg cuk;s tk,¡ &

(i) सामान्य परिषद् की अनुशंसा पर सरकार द्वारा प्रथम कानून (परिनियम) बनाया जाएगा;

(ii) कार्य–परिषद्, समय–समय पर नये अथवा अतिरिक्त कानूनों को बनाएगी अथवा उप–धारा (1) में निर्दिष्ट किसी कानून (परिनियम) को संशोधित अथवा रद्द करेगी;

परन्तु विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के पद, शक्तियों अथवा विधान को प्रभावित करने वाले किसी कानून को न बना सकेगा, न संशोधित कर सकेगा और न ही निरस्त कर सकेगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में राय व्यक्त करने के लिए अवसर नहीं दिया जाता है और वैसी कोई राय दी जाती है, तो कार्य–परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।

(iii) प्रत्येक नए कानून अथवा संशोधन वाले कानून अथवा निरस्त होने वाले कानून में कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो उसको मंजूरी दे सकेंगे अथवा उसकी मंजूरी को रोक सकेंगे अथवा पुनः विचारण के लिए कार्य–परिषद् को उसे लौटा सकेंगे;

परन्तु कि यदि किसी प्रकार का वित्तीय उलझन हो जिसमें कानून का मामला उठ सकता है, तो उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा जब तक राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन नहीं प्राप्त कर लिया जाता है।

*28- fofu;e &*विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस अधिनियम और कानून के अनुरूप अपने कार्यों के निष्पादन के लिए कानूनों द्वारा विहित रीति से विनियम बना सकते हैं और उनके द्वारा बनाई गई समितियाँ और इस अधिनियम और कानून द्वारा व्यवस्थित नहीं हैं तथा ऐसे मामलों के लिए, जैसा कि कानूनों द्वारा विहित किए जाए, परन्तु यह कि यदि कोई वित्तीय उलझन हो, जो विनियम के अधीन उठ सकता है, तो उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा, जब तक कि राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता है।

29- okf"kZd izfrosnu &

(i) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्य–परिषद् के निर्देशनों के अधीन तैयार किया जाएगा, जिसमें अन्य विषयों के साथ विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के प्रति विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए प्रयासों को शामिल किया जाएगा और कानून द्वारा यथा विहित ऐसी तिथि को अथवा उसके पहले सामान्य परिषद् के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा और सामान्य परिषद् अपनी वार्षिक बैठक में उस प्रतिवेदन पर विचार करेगी।

(ii) सामान्य परिषद् अपनी टिप्पणियों, यदि कोई, के साथ वार्षिक प्रतिवेदन को कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(iii) उप–धारा (I) के अधीन यथा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सरकार को भी उपस्थापित की जाएगी।

30- okf"kd y[kk vkj vd{k.kA&

(i) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन पत्र (बैलेंस शीट) कार्य–परिषद् के निदेश के अधीन कम से कम वर्ष में एक बार तैयार किया जाएगा और पन्द्रह महीने से अनधिक समय के अन्तराल पर उसका अंकेक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जो उनकी ओर से प्राधिकृत किए जायें।

(ii) वार्षिक लेखा तथा उस पर अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति सरकार के माध्यम से सामान्य परिषद् एवं कुलाधिपति को दी जाएगी जिसके साथ कार्य परिषद् की टिप्पणी भी होगी।

(iii) वार्षिक लेखा पर कुलाधिपति की किसी टिप्पणी को सामान्य परिषद् के नोटिस में लाया जाएगा तथा सामान्य परिषद् की टिप्पणी, यदि कोई हो, पर कार्य परिषद् द्वारा विचार करने के पश्चात् इसे कुलाधिपति को समर्पित किया जाएगा।

(iv) वार्षिक लेखा की प्रति के साथ कुलाधिपति को समर्पित अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सरकार को भी प्रस्तुत किया जाएगा।

31- fo'ofo|ky; dh fuf/k;k %

(i) विश्वविद्यालय की सामान्य निधि (जनरल फण्ड) होगी, जिसमें निम्नलिखित को आकलित किया जाएगा :

- (क) फीस, अनुदान, दान और उपहार, यदि कोई से प्राप्त आय;
- (ख) राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय खेल शिक्षा परिषद् अथवा समान प्राधिकार, किसी स्थानीय प्राधिकार अथवा सरकार द्वारा अधिगृहीत अथवा नियंत्रित किसी निगम द्वारा दिए गए अंशदान अथवा अनुदान और;
- (ग) दान और अन्य प्राप्तियाँ;

(ii) विश्वविद्यालय को ऐसी अन्य निधियाँ होगी जैसा कि कानूनों में विहित है;

(iii) विश्वविद्यालय की निधि एवं सभी मुद्राओं को ऐसी रीति से रखा जाएगा जैसा कि कानूनों द्वारा विहित हो;

(iv) सरकार, प्रत्येक वर्ष में, अध्ययन एवं शोध को सुगम बनाने एवं बढ़ावा प्रदान करने तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सहायता अनुदान प्रदान करती है।

*32- fooj.k iLrr djuk A&*विश्वविद्यालय राज्य सरकार को अपनी सम्पत्ति अथवा क्रिया–कलापों के बारे में ऐसा विवरण अथवा अन्य जानकारी, ऐसी अवधि के भीतर, जैसा कि राज्य सरकार समय–समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा।

*33- depkfj;k dh lok&'kÙkZ] bR;kfn A&*विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और स्टाफ तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा–शर्तें कानूनों एवं विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

*34- vihy dju dk vf/kdkj A&*विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अथवा सम्पोषित विश्वविद्यालय अथवा किसी कॉलेज अथवा किसी संस्था अथवा किसी अध्ययन केन्द्र का प्रत्येक कर्मचारी अथवा छात्र, इस अधिनियम में किसी बात के होते भी, को अधिकार होगा कि वह ऐसे समय के अंतर्गत, जैसा कि कानून द्वारा निर्धारित हो, विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी अथवा प्राधिकारी अथवा किसी कॉलेज अथवा संस्था अथवा अध्ययन केन्द्र, यथास्थिति प्राचार्य अथवा प्रबंधन के निर्णय के विरूद्ध कुलाधिपति के समक्ष अपील करेगा और उसके उपरान्त, कुलाधिपति निर्णय के विरूद्ध की गई अपील की सम्पुष्टि करेगा, संशोधित करेगा अथवा उस निर्णय को पलट देगा।

*35- Hkfo"; fuf/k ,o i'ku fuf/k A&*विश्वविद्यालय अपने कर्मचारी के लाभ के लिए भविष्य निधि एवं पेंशन निधि का गठन करेगा अथवा ऐसी बीमा स्कीम की वैसी रीति से व्यवस्था करेगा जैसा की वह उचित समझे, और ऐसी शर्त्तों की अध्यधीन जैसा की सरकार के साथ परामर्श करने के बाद कानूनों द्वारा विहित किया जाए।

*36- ikf/kdkjk vkj fudk;k d xBu lc/kh fookn A&*यदि कोई प्रश्न उठ खड़ा होता है कि क्या कोई व्यक्ति सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है अथवा नियुक्त हुआ है अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार अथवा किसी निकाय का सदस्य होने का हकदार है, तो इस विषय की कुलाधिपति के समक्ष निर्दिष्ट कर दिया जाएगा जिनका उस पर निर्णय अंतिम होगा।

*37- vkdfLed fjfDr;k dk Hkjuk A&*विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार अथवा अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों के अलावा) की सभी आकस्मिक रिक्तियों को वैसे व्यक्ति अथवा निकाय (बॉडी) द्वारा यथाशक्य शीघ्र भरी जाएगी जो सदस्य की नियुक्ति, चुनाव अथवा सहयोजित करते है, जिनका स्थान खाली हो गया है और उस आकस्मिक रिक्ति के लिए नियुक्त, निर्वाचित अथवा सहयोजित व्यक्ति उस अवधि की अवशेष अवधि के लिए ऐसे प्राधिकार अथवा निकाय का सदस्य होंगे, जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसके स्थान को वह भरता है, सदस्य होता है।

*38- fjfDr;k }kjk ikf/kdkjk vFkok fudk;k dh dk;okgh vekU; ugh gksxhA&*विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार अथवा अन्य निकाय के कोई कार्य अथवा कार्यवाहियाँ केवल इसके सदस्यों के बीच किसी रिक्ति अथवा रिक्तियों के अस्तित्व के कारण अमान्य नहीं होगी।

*39- uduh;rh e dh xbZ dkjZokbZ dk cpkoA&*किसी बात के लिए विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी अथवा किसी प्राधिकारी के विरूद्ध कोई वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाही स्वीकार्य नहीं होगी, जिसे इस विधेयक, कानून अथवा अध्यादेश एवं विनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में नेकनीयती से अथवा आशय से किया गया है।

*40- fo'ofo|ky; vfHkys[k dh lcr ¼iQ½ dk Lo:i ¼ekM½A&*भारतीय साक्ष्य अनिधिनियम, 1872 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी रसीद, आवेदन, सूचना (नोटिस), आदेश, कार्यवाही अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार अथवा निकाय के संकल्प अथवा विश्वविद्यालय के स्वत्व में किसी अन्य कागजात की प्रति को अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप में अनुरक्षित पंजी (रजिस्टर) में किसी प्रविष्टि, यदि निबंधक द्वारा प्रमाणित हो, की ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प प्रथम दृष्टि साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जाएगा और उन्हें विषयों एवं संव्यवहारों के साक्ष्य स्वरूप स्वीकार किया जाएगा और जहां उसके मूल को, यदि प्रस्तुत हो, साक्ष्य में स्वीकार किया गया है।

*41- dfBukbZ;ksa dks nwj djus dh 'kfDr A&*इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी होने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है,तो सरकार, राजपत्र में किसी आदेश को प्रकाशित कर, इस अधिनियम में उपबंधों के अननुरूप नहीं, ऐसे उपबंध करेगी, जिससे पता चले कि यह आवश्यक हो अथवा कठिनाई को दूर करना उचित हो; परन्तु कि ऐसे किसी आदेश को इस अधिनियम के आरम्भ होने से तीन वर्षों की समाप्ति के बाद इस धारा के अंतर्गत पारित नहीं किया जाएगा।

*42- vUroZrhZ mica/k A&*इस अधिनियम और कानून (परिनियम) में किसी बात के होते हुए भी–

(क) प्रथम कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों में की जाएगी, जैसा की उचित समझा जाए और उक्त पदाधिकारी ऐसी अवधि के लिए पदधारण करेगा, जो अवधि तीन वर्ष से अनाधिक नहीं होगी अथवा कुलाधिपति द्वारा जो निर्धारित किया जाय;

(ख) प्रथम रजिस्ट्रार और प्रथम वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और उक्त पदाधिकारियों में से प्रत्येक पदाधिकारी तीन वर्षों की अवधि के लिए पदधारण करेगा;

(ग) प्रथम सामान्य परिषद् और प्रथम कार्य–परिषद् का गठन क्रमशः ग्यारह सदस्यों एवं नौ सदस्यों से अनधिक संख्या में किया जाएगा, जो कुलाधिपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और वे तीन वर्षों की अवधि के लिए पदधारण करेंगे; और

(घ) प्रथम एकेडेमिक एवं एक्टीविटी परिषद् का गठन नौ से अनधिक सदस्यों से होगी, जो कुलाधिपति द्वारा नामित किये जायेंगे और वे तीन वर्षों की कालावधि के लिए पदधारण करेंगे।

परन्तु कि उपर्युक्त कार्यालयों और प्राधिकारों में कोई रिक्ति होती है तो उसे यथास्थिति, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त अथवा मनोनीत किया जाएगा और वैसे नियुक्त अथवा मनोनीत व्यक्ति वैसी अवधि के लिए पदधारण करेगा जैसा कि पदाधिकारी अथवा सदस्य, जिनके स्थान पर उसे नियुक्त अथवा मनोनीत किया गया है वह पदधारण किए होता, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती।

ih0 lh0 pkS/kjh]
ljdkj ds lfpoA

9 अगस्त 2021

सं० एल०जी०–01–15/2021*&4294@yst*—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 अगस्त 2021 को अनुमत *fcgkj [ksy fo'ofo|ky; vf/kfu;e] 2021 ¼fcgkj vf/kfu;e 21] 2021½* का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
ih0 lh0 pkS/kjh]
ljdkj ds lfpoA

[Bihar Act 21, 2021]

BIHAR SPORTS UNIVERSITY ACT, 2021

AN

ACT

To establish and incorporate a Sports University in the name of Bihar Sports University in the State of Bihar with an objective to promote Sports Education in the areas of Physical Education, Sports Sciences, Sports Technology, Sports Management and Sports Coaching besides functioning as a High Level Research Training Centre for selected sports disciplines and for matters connected therewith or incidental thereto**.**

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy second year of the Republic of India as follows:

1. Short Title, Extent, and Commencement.—

(i) This Act may be called **The Bihar Sports University Act, 2021**.

(ii) It shall extend to whole of the **State of Bihar.**

(iii) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, specify.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires:

(i) ***"Academic and Activity Council"*** means the Academic and Activity Council of the University;

(ii) ***"Academic Staff"*** means such categories of staff as are designated as academic staff by the Statutes;

(iii) ***"Academic year"*** means the Academic year of the University as prescribed by the Statutes;

(iv) ***"Affiliation"*** means affiliation granted by the University in accordance with the Statutes and Regulations made for the purpose;

(v) ***"Affiliated Institution"*** means an Institution of higher learning in the field of Sports Education, Physical Education, Sports Management, Sports Coaching and other such programmes as affiliated by the University;

(vi) ***"Autonomous Institutes"*** means such Institutes which have been declared autonomous by the University under the provisions prescribed in the relevant Statutes;

(vii) ***"Chancellor"*** means the Chancellor of the University;

(viii) ***"Chief Minister"*** means Chief Minister of Bihar;

(ix) ***"College"*** means an Academic Institution established or maintained or admitted to the privileges of the University or maintained by the State Government;

(x) ***"Department"*** means a Department of the University including Centre of Studies;

(xi) ***"Employee"*** means any person appointed by the University;

(xii) ***"Executive Council"*** means the Executive Council of the University;

(xiii) ***"Faculty"*** means Faculty of the University as defined by Statute;

(xiv) ***"Finance Committee"*** means the Finance Committee of the University;

(xv) ***"Fund"*** means the University Fund referred to in section 31;

(xvi) ***"General Council"*** means the General Council of the University;

(xvii) ***"Government"*** means the Government of Bihar;

(xviii) ***"Head of the Department"*** means the Head of any teaching Department of the University;

(xix) ***"Institution"*** means an Academic Institution, or College/ School/ Centre, maintained by, or admitted to the privileges of the University;

(xx) ***"Misconduct"*** means a Misconduct prescribed by the Statutes;

(xxi) ***"Notification"*** means a Notification published in the official Gazette;

(xxii) ***"Outlying Campus"*** means the Campus of the University as may be established by it within the State of Bihar;

(xxiii) ***"Principal"*** means the head of the College and includes, where there is no Principal, the person who is for the time being duly appointed to act as the Principal;

(xxiv) ***"Professional Educational Courses in Sports"*** means education connected with holistic development of Sports, that needs special training or skill, and includes Sports Science and Medicine, Sports Technology, Sports Management and Sports Coaching, Interdisciplinary Studies, Yogic Science and other such relevant courses;

(xxv) ***"Recognized Teachers"*** means such persons as are approved by the University for the purposes of imparting instruction in a College or an Institution admitted to the privileges of the University;

(xxvi) ***"Regulations"*** means Regulations made by any Authority of the University under this Act for the time being in force;

(xxvii) ***"School"*** means a School of Studies of the University;

(xxviii) ***"Screening Committee"*** means the Committee as constituted under Section 11(3) of this Act;

(xxix) ***"Self-Financing Institution"*** means those Institutions which are set-up by a Trust or a Society and are self-financing;

(xxx) ***"State"*** means the State of Bihar;

(xxxi) ***"Statutes" and "Ordinances"*** mean, respectively, the Statutes and the Ordinances of the University for the time being in force;

(xxxii) ***"Teachers of the University"*** means Professors, Associate Professors, Assistant Professors and such other persons as may be appointed for imparting instructions, training or conducting research in the University or in any Outlying Campus, College or Institution and other such maintained by the University and are designated as teachers by the Ordinances;

(xxxiii) ***"University"*** means the Bihar Sports University established and incorporated as a University under this Act;

(xxxiv) ***"University Grants Commission"*** means the Commission established under Section-4 of the University Grants Commissions Act, 1956 (Central Act 3 of 1956).

(xxxv) ***"Vice-Chancellor"*** means the Vice-Chancellor of the University; and

(xxxvi) The words and expressions used herein and not defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. ***Incorporation.—***

(i) With an effect from such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint, there shall be established a University by the name of Bihar Sports University comprising the Chancellor and the Vice-Chancellor, the first members of the General Council, the Executive Council and the Academic and Activity Council of the University and all

such persons as may hereafter be appointed to such office or as members so long as they continue to hold such office or membership;

(ii) The University shall be a body corporate with the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property and to contract, and may by the said name sue or be sued;

(iii) The headquarter of the University shall be located at Rajgir, in the State of Bihar;

4. *Jurisdiction.—*

(i) The jurisdiction of the University shall extend to the whole of the State of Bihar;

(ii) Affiliating University for Institutions set up in Government and in private sector in the field of Physical Education, Sports Sciences, Sports Technology, Sports Management, etc. and to set up faculties in the field of Sports Education and Management;

(iii) All the Sports Education oriented Institutions established by the Government and constituent to the existing Universities of the State or to be established in future imparting Physical Education, Sports Sciences, Sports Technology, Sports Management, etc. shall be eligible for affiliation with the University from such date as the Government may, by notification in the official Gazette appoint, and in the manner prescribed by the Statutes or Ordinances or Regulations made in this regard;

(iv) Notwithstanding anything contained in any other State laws for the time being in force, Institutions as may be specified by the State Government, by notification in the Official Gazette, imparting Physical Education, Sports Sciences, Sports Technology, Sports Management, etc. and affiliated by any other University established by law of the State Legislature shall cease to be affiliated from the University to which such Institutions have been affiliated and such Institutions shall be deemed to be affiliated to the University from such date as specified in the said notification;

(v) The University may impose such terms and conditions upon the Institutions as it may consider necessary, conducive or incidental to the attainment of all or any of the objects of the University and then grant affiliation;

(vi) Existing Institutions set up by a Trust or a Society as a Self-Financing Institution imparting Physical Education, Sports Sciences, Sports Technology and Sports Management, etc. will be at liberty to get affiliated with the University. The University may consider and grant conditional affiliation subject to fulfillment of conditions laid down under the Statutes, Ordinances and Regulations made in this regard.

(vii) The State Sports Academy, Rajgir shall be a part of the Bihar Sports University.

5. *The Objectives of the University shall be.—* *The objectives of University shall be as follows:-*

(i) To make Bihar a sporting power;

(ii) To create a platform for research and development and dissemination of knowledge by providing specially designed academic and training

programmes in various areas of Physical Education and Sports Sciences, Modern Sports and training in advanced technologies of sports;

(iii) To create a pool of high-level Physical Education Teachers for the holistic development of Sports and Physical Education;

(iv) To create a pool of high-level Sports Professionals and Sports Technical Experts;

(v) Work as a think tank for the development of Bihar Sports Policy, Sports Planning, Sports Activities, etc.;

(vi) To strengthen Physical Education, Sports Sciences, Sports Technology, Sports Management and Sports Coaching including traditional as well as national level games;

(vii) To provide national and international collaboration in the fields of Physical Education and Sports Sciences, Sports Technology and high-performance training for all sports and games;

(viii) To establish close linkage with sports academies, schools, colleges, sports and recreation clubs, Sports Associations and International Federations for the purposes of teaching, training and research in Physical Education and Sports Sciences, Sports Technology and high-performance training for all sports and games;

(ix) To prepare qualified professionals in the fields of Physical Education and Sports Sciences, Sports Technology and high-performance training for all sports and games;

(x) To serve as a Centre of Excellence for the elite and other talented sports persons of all sports and games and innovation in Physical Education, Sports Technology, Sports Sciences, etc. and to carry out, endorse and propagate research;

(xi) Such other objects, not inconsistent with the provisions of this Act, which the State Government may, by notification in the official Gazette, specify in this behalf.

6. ***The University shall have the following Powers and Functions, namely***.—

(i) To administer and manage the University and to establish such Institutes for education, training, instruction and research as are necessary for the furtherance of the objectives of the University;

(ii) To establish and maintain Institutions;

(iii) To establish, maintain or recognize Study Centers in the manner laid down by the Statutes;

(iv) To provide for instruction, training and research in such branches of knowledge or learning pertaining to Physical Education, Health and applied Sports Sciences, Sports Technology, Sports Management and allied areas;

(v) To plan, design, develop and prescribe courses of study and conduct appropriate academic and training programmes in Physical Education, Sports Sciences, Sports Technology, Sports Management, etc. and to provide for instruction and training in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge;

(vi) To grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates to, and confer degrees or other academic distinctions on, persons, on the basis of examinations, evaluation or any

method of testing, and to withdraw any such certificates, diplomas, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(vii) To conduct innovative experiments and promote new methods and technologies in the fields of Physical Education, Sports Sciences, Sports Medicine, Sports Technology, Sports Management and other related fields;

(viii) To start any new allied course or research programme or diploma or training programme and discontinue any course or training programme;

(ix) To provide training, coaching and other back up to high level sports persons for achieving success in different national and international sports competitions;

(x) To provide for the preparation of instructional and training materials, including films, cassettes, tapes, video cassettes and other software;

(xi) To organize and conduct refresher courses, workshops, seminars and other programmes for teachers, evaluators, other academic staff and students;

(xii) To establish and maintain, with the prior approval of the Chancellor, such Outlying Campuses, specialized laboratories or other units for research, instruction and training as are, in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects;

(xiii) To confer honorary degrees or other distinctions in the manner prescribed by the Statutes and to institute and to award;

(xiv) To institute Principalships, Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships and other teaching or academic positions, required by the University and to appoint persons to such Principalships, Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships or other teaching or academic positions;

(xv) To appoint persons working in any University or Academic Institution, including those located outside the country, as teachers of the University for a specified period;

(xvi) To create administrative and other posts and to make appointments thereto;

(xvii) To appoint on contract or otherwise visiting Professors, Emeritus Professors, Consultants and such other persons who may contribute to the advancement of the objects of the University;

(xviii) To demand and receive payment of fees and other charges;

(xix) To lay down conditions of service of all categories of employees, including their code of conduct;

(xx) To receive benefactions, donations and gifts and to acquire, hold and manage, and to dispose of, with the previous approval of the State Government, any property, movable or immovable, including trust and endowment properties, for the purposes of the University;

(xxi) To sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, movable or immovable, on such terms as it may think fit, consistent with the interest, activities and objects of the University. Provided in case of immovable properties prior sanction of the State Government is taken.

(xxii) To purchase or to take on lease any land or building or sports complex or sports infrastructure and scientific sports research equipment or

indoor stadium or works which may be necessary or convenient for the purposes of the University, on such terms and conditions as it may think fit and proper and to construct, alter and maintain any such building or work;

(xxiii) To give effect to the procedures and standards provided under the Khelo India Scheme or the National Sports Talent Search and Identification Scheme;

(xxiv) To confer autonomous status on a College or an Institution in the manner laid down by the Statutes;

(xxv) To admit to its privileges any Institution in or outside India subject to such conditions as may be laid down by the Statutes: provided that no Institution shall be so admitted except with the prior approval of the State Government;

(xxvi) To recognize persons for imparting instructions in any Institution admitted to the privileges of the University;

(xxvii) To provide opportunities to students of the University to participate in the sports tournaments and competitions in co-ordination with established International Sports Federations, National Sports Federations, Indian Olympic Association and Association of Indian Universities among others;

(xxviii) To have liaison or membership with various national and international professional organizations or bodies;

(xxix) To act as a technical advisory body to the State Government and other level Organizations and National Sports Federations on all matters related to sports; and

(xxx) To do all such other acts and things as may be necessary, incidental, or conducive to the attainment of all or any of its objects.

7. ***University shall be open to all irrespective of Sex, Gender, Caste, Creed, Race or Class.—***The University shall be open to all persons irrespective of sex, caste, creed, race or class and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to be appointed to hold any office therein or be admitted as a student in the University or to graduate there at or to enjoy or exercise any privilege thereof;

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for the employment or admission of women, persons with physical disabilities or persons belonging to socially and educationally backward classes of the society or for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

8. ***Reservation in Admission.—***Without affecting the provisions of vertical reservations, as applicable from time to time for admission in the Educational Institutions in the State of Bihar, one-third of total seats of all the courses and categories in each Institution and Colleges affiliated with the University shall be horizontally reserved for admission of women candidates.

Provided that this benefit shall be available only to the women domiciled in the State of Bihar. In the absence of eligible women candidates, the vacant seat in the same academic session shall be filled up by the male candidates from the relevant category (reserved/unreserved). For the implementation in these provisions, the Government may issue orders as required from time to time.

9. ***The Chancellor.—***

(i) The Chief Minister of Bihar, by virtue of his/her office, shall be the Chancellor of the University;

(ii) The Chancellor, when present, shall preside over the convocations of the University and the meetings of the General Council;

(iii) The Chancellor shall have the right to cause an inspection , to be made by such person or persons as he may direct, of the University, a an Institution affiliated by the University, their buildings, laboratories and equipment, and also of the examination, teaching and other work conducted or done by the University, Institution, as the case may be, and to cause an inquiry or to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration or finances of the University, Institution, as the case may be;

(iv) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University or to the Institutions of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University or the Institutions, as the case may be, shall, on receipt of such notice, have the right to make such representation to the Chancellor, as it may consider necessary, within such period as specified in the notice;

(v) After considering the representation, if any, made by the University or the Institution, Chancellor may cause to be made such inspection or inquiry as is referred to in sub-section (iii);

(vi) Where an inspection or inquiry has been caused to be made by the Chancellor, the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry;

(vii) The Chancellor may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry as is referred to in sub-section (iii) and the Vice Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the Chancellor with such advice as the Chancellor may be pleased to offer upon the action to be taken thereon;

(viii) The Chancellor may, if the inspection or inquiry is made in respect of any Institution affiliated to the University, address the Executive Council concerned through the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, his/her views thereon and such advice as he/she may be pleased to offer upon the action to be taken thereon;

(ix) The Executive Council shall communicate through the Vice-Chancellor to the Chancellor such action, if any, as it proposes to take or has been taken by it upon the result of such inspection or inquiry;

(x) Where, the Executive Council as the case may be, does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor may, after considering any explanation furnished or representation made by the Executive Council issue such directions as he may think fit and the Executive Council shall comply with such directions;

(xi) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Chancellor may, by order in writing, annul any proceeding of the University which is not in conformity with this Act, the Statutes or the Regulations; Provided that before making any such order, the Chancellor shall call upon the Registrar to show cause as to why such an order should

not be made, and if any cause is shown within a reasonable time, he/she shall consider the same;

(xii) In case of differences amongst the authorities or officers of the University on any matter which cannot be otherwise resolved the decision of the Chancellor shall be final;

(xiii) The Chancellor shall have all such other powers as may be prescribed by the Statutes and Regulations.

10. ***Officers of University.—****The following shall be the officers of the University, namely:—*

(i) The Vice-Chancellor;
(ii) The Dean;
(iii) The Registrar;
(iv) The Finance Officer;
(v) The Controller of Examinations;
(vi) Such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

11. ***The Vice-Chancellor.—***

(i) The Vice-Chancellor shall be a scholar of repute having wide experience in the field of Sports Administration and/or Sports Management and/or an Eminent Sports Person of International repute and shall possess adequate experience in Human Resource Development;

(ii) The Vice Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of not less than three persons recommended (the names being arranged in the alphabetical order) by Screening Committee constituted under provisions of the Act. Provided that if the Chancellor does not approve of any of the persons so recommended, he/she may call for the fresh recommendations;

(iii) The Screening Committee referred to in sub-section (2) shall consist of three members of whom one shall be nominated by the Chancellor, one by the Executive Council, and one by the Department of Art, Culture and Youth, Government of Bihar. The member nominated by Department of Art, Culture and Youth, Government of Bihar shall be the convener of the Committee;

(iv) Provided that none of the members of the Committee shall be an employee of the University; provided further, that the panel shall be prepared from out of candidates who submit their curriculum vitae or is sponsored by some reputed persons or Institutions in the field of Sports;

(v) The first Vice Chancellor shall be appointed by the Government till the sub-section (3) becomes operational;

(vi) The Vice Chancellor shall hold office for the term of three years from the date on which he/she enters upon his office; Provided that the Chancellor may require the Vice-Chancellor after the term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year as may be specified; Provided also that the maximum age limit for continuance upon the office of the Vice Chancellor will be seventy-five years;

(vii) The emoluments and other conditions of service of the Vice Chancellor shall be as prescribed by Statutes;

(viii) If the office of the Vice Chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise or if he/she is unable to perform his/her duties due to ill health or any other cause, the Chancellor shall have the authority to designate any eminent person to perform the functions of the Vice Chancellor until the new Vice Chancellor assumes his/her office or until the existing Vice Chancellor attends to the duties of his/her office, as the case may be.

12. ***Powers, Duties and Function of the Vice -Chancellor*.—**

(i) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University;

(ii) The Vice-Chancellor may, if he/she is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall report to such authority at its next meeting the action taken by him/her on such matter;

Provided that such exercise of power shall be made only in emergent situations and in no case in respect of creation, and up gradation of posts and appointments thereto;

Provided further that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final;

Provided also that if any person in the service of the University who is aggrieved by the actions taken by the Vice-Chancellor under this sub-section shall have the right to appeal against such action to the Chancellor within three months from the date on which decision on such action is communicated to him and there upon the Chancellor may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor;

(iii) The Vice-Chancellor, if he/she is of the opinion that any decision of any authority of the University is beyond the powers of the authority conferred by the provisions of this Act, the Statutes, or any decision taken is not in the interest of the University, may ask the authority concerned to review its decision within sixty days of such decision and if the authority refuses to review the decision either in whole or in part or no decision is taken by it within the said period of sixty days, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final;

(iv) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes;

(v) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Executive Council, Finance Committee, Academic and Activity Council of the University;

(vi) The Vice-Chancellor shall, in the absence of the Chancellor, preside at any convocation of the University and shall preside at the meeting of the Executive council, Academic Council and the Finance Committee.

13. ***Removal of the Vice-Chancellor***.—

(i) If at any time and after such enquiry as may be considered necessary, it appears, to the Chancellor that the Vice-Chancellor-

a) Has failed to discharge any duty imposed upon him, by, or under this Act, the Statutes, or

b) Has acted in a manner prejudicial to the interests of the University, or

c) Has been incapable of managing the affairs of the University;

The Chancellor may, notwithstanding the fact that the term of office of the Vice-Chancellor has not expired, require the Vice-Chancellor, by an order in writing stating the reasons thereof, to resign from his/her post from the date as may be specified in the order;

(ii) No orders under sub-section *(i)* shall be passed unless a notice stating the specific grounds on which such action is proposed has been served and a reasonable opportunity to show cause against the proposed order has been given to the Vice-Chancellor;

(iii) On and from the date specified in sub-section *(i),* it shall be deemed that the Vice-Chancellor has resigned from the post and office of the Vice-Chancellor shall be deemed vacant.

14. ***The Dean***.—Every Dean shall be appointed in such manner, and on such terms and conditions of service, and shall exercise powers and perform duties, as may be prescribed by the Statutes.

15. ***The Registrar***.—

(i) The Registrar shall be appointed in such manner, and on such terms and conditions of service, as may be prescribed by the Statutes. However the first Registrar of the University shall be appointed by the State Government and shall hold office for a term of three years;

(ii) The Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University, and shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed by the Statutes.

16. ***The Finance Officer***.—The Finance Officer shall be appointed in such manner and on such terms and conditions of service, and shall exercise powers and perform duties, as may be prescribed by the Statutes. However, the first Finance Officer of the University shall be appointed by the Government and shall hold office for a term of three years or till the appointment of the Finance Officer as prescribed by the Statutes, whichever is earlier.

17. ***The Controller of Examinations***.—The Controller of Examination shall be appointed in such manner and on such terms and conditions of service, and shall exercise powers and perform duties, as may be prescribed by the statutes. However, the first Examination Controller shall be appointed by the Government and shall hold office for a term of three years or till the appointment of the Examination Controller, as prescribed by the Statutes, whichever is earlier.

18. ***Other Officers***.—The manner of appointment and powers and duties of other officers of the University shall be prescribed by the Statutes.

19. ***The following shall be the Authorities of the University, namely***.—

(i) The General Council;

(ii) The Executive Council;

(iii) The Academic and Activity Council;

(iv) The Board of Affiliation;

(v) The Finance Committee;

(vi) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be the Authority of the University.

20. ***The General Council.—***

(i) The General Council shall consist of following members.—

(a) The Chancellor, who shall be the Chairperson;

(b) The Minister, Department of Art, Culture and Youth, Government of Bihar- who shall be the Vice Chairperson;

(c) The Minister – Department of Finance, Government of Bihar;

(d) The Minister – Department of Education, Government of Bihar;

(e) The Vice-Chancellor;

(f) The Chief Secretary, Government of Bihar;

(g) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary- Department of Education, Government of Bihar;

(h) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary-Department of Finance, Government of Bihar;

(i) Additional Chief Secretary /Principal Secretary/Secretary - Department of Art, Culture and Youth, Government of Bihar;

(j) Director General, Bihar State Sports Authority, Patna;

(k) The Registrar;

(l) Director, Student and Youth Welfare; Department of Art, Culture and Youth; Government of Bihar;

(m) Director, Higher Education, Department of Education, Government of Bihar;

(n) Director, State Sports Academy, Rajgir, Nalanda, Bihar;

(o) Representative of Sports Authority of India, New Delhi, not below the rank of Joint Secretary;

(p) Two eminent Sports Persons of International repute;

(ii) ***Terms and Conditions.—***

(a) Where a person has become a member of the General Councilby reason of the office or appointment he/she holds, his/her membership shall terminate when he/she ceases to hold that office or appointment;

(b) The term of office of the nominated members of the General Council other than the ex officio members shall be three years;

(c) A member of the General Council shall cease to be a member if he/she resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude. A member, other than the Vice-Chancellor and Registrar shall also cease to be a member if he/she accepts a full-time appointment in the university; or if he/she not being an ex-officio member fails to attend three consecutive meetings of the General Council without the leave of the Chancellor;

(d) A member of the General Council other than an ex-officio member may resign from office by a letter addressed to the Chancellor and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted; and

(e) Any vacancy in the General Council shall be filled by nomination by the respective nominating authority for the remaining period of the term and on expiry of the period of the vacancy; such nomination shall cease to be effective;

(iii) ***Subject to the provisions of this Act, the General Council shall have the following powers and functions, namely*.—**

(i) The General Council shall be the plenary authority of the University and shall formulate and review from time to time the broad policies and programmes of the University and devise measures for the improvement and development of the University and shall also have the following powers and functions namely:-

(a) To consider and pass the Annual Report, Financial Statement and the Budget Estimates prepared by the Executive Council and to adopt them with or without modification;

(b) To make the Statutes concerning the administration of the affairs of the University including prescribing the procedures to be followed by the authorities and the officers of the University in discharge of their functions and duties;

(*ii*) (a) The General Council shall meet at least once in a year and Annual Meeting of the General Council shall be held on a date fixed by the Chancellor;

(b) A report on the working of the University during the previous year, together with a statement of receipts and expenditure, the balance sheet as audited, and the financial estimates shall be presented by the Vice-Chancellor to the General Council at its Annual Meetings;

(c) Meetings of the General Council shall be called by the Chancellor either on his/her own motion or at the requisition of not less than ten members of the General Council;

(d) For every meeting of the General Council, a prior notice of fourteen days shall be given, however in emergent situations the meeting of the General Council may be called by the Chancellor at short notice;

(e) One third of the members existing on the rolls of the General Council shall form the quorum;

(f) Each member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the General Council, the person presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote.

(g) The Chairperson of the General Council in his/her absence shall delegate his/her powers to the Vice-Chairperson of the General Council.

21. ***The Executive Council and its Terms and Conditions*.—**

(i) The Executive Council shall be the principal executive body of the University;

(ii) The Executive Council shall consist of the following persons namely:

a) The Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson;

b) Additional Chief Secretary /Principal Secretary/Secretary-Department of Education, Government of Bihar, or his/her representative not below the rank of Joint Secretary;

c) Additional Chief Secretary /Principal Secretary/Secretary-Department of Finance, Government of Bihar, or his/her representative not below the rank of Joint Secretary;

d) Additional Chief Secretary /Principal Secretary/Secretary - Department of Art, Culture and Youth, Government of Bihar or his/her representative not below the rank of Joint Secretary;
e) Director, Student and Youth Welfare, Department of Art, Culture and Youth, Government of Bihar;
f) Director, Higher Education, Department of Education, Government of Bihar;
g) The Registrar;
h) Representative of State Sports Academy, Rajgir, not below the rank of Deputy Director;
i) Director-cum-Secretary, Bihar State Sports Authority;
j) Three teachers to be nominated by the Chancellor of whom, one shall be from amongst Heads of Department, one from Professors and one from Associate Professors by rotation for a period of one year each from different Departments of University;

***(iii)* *Terms and Conditions*.—**

(a) Where a person has become a member of the Executive Council by reason of the office or appointment he/she holds, his/her membership shall terminate when he/she ceases to hold that office or appointment;
(b) The term of office of the nominated members of the Executive Council other than ex officio members shall be three years;
(c) A member of the Executive Council shall cease to be a member, if he/she resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude. A member other than the Vice-Chancellor shall also cease to be a member if he/she accepts a full-time appointment in the University;
(d) A member of the Executive Council other than an ex-officio member may resign his/her office by a letter addressed to the Vice-Chancellor and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by him/her;
(e) Any vacancy in the Executive Council shall be filled by nomination by the respective nominating authorities for the remaining period of the term.

***(iv)* *Powers, Functions and Meetings of the Executive Council*.—**

(a) The Executive Council shall be the Chief Executive Authority of the University and as such shall have all powers necessary to administer the University subject to the provisions of this Act and the Statutes made there under, and may make Regulations for that purpose and also with respect to matters provided hereunder.
(b) The Executive Council shall have the following powers and functions:
  (i) To prepare and present the following to the General Council at its Annual Meetings: -
    I. A report on the working of the University;
    II. A statement of accounts; and

III. Budget proposals for the ensuing academic year.

(ii) To manage and regulate the finances, accounts, investments, properties, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose, constitute committees and delegate the powers to such committees or such officers of the University as it may deem fit;

(iii) To transfer or accept transfers of any movable or immovable property on behalf of the University;

(iv) To enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University and for that purpose to appoint such officers as it may think fit;

(v) To provide buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying out the work of the University;

(c) To entertain, adjudicate upon, and if it thinks fit, to redress any grievances of the students and the employees of the University;

(d) To create administrative, ministerial and other necessary posts, to determine the number and emoluments of such posts, to specify the minimum qualifications for appointment to such posts on such terms and conditions of service as may be prescribed by the Regulations made in this behalf;

(e) To appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments and travelling and other allowances, after consulting the Academic Council;

(f) To select a common seal for the University; and

(g) To exercise such other powers and to perform such other duties as may be considered necessary or imposed on it by or under this Act.

(V) (a) The Executive Council shall meet at least once in four months and a prior notice of fourteen days shall be given for such meetings;

(b) The meeting of the Executive Council shall be called by the Registrar under instructions of the Vice-Chancellor or at the request of not less than five members of the Executive Council;

(c) One half of members of the Executive Council shall form the quorum at any meeting;

(d) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail;

(e) Each member of the Executive Council shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Executive Council, the Chairperson of the Executive Council or as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote;

(f) Every meeting of the Executive Council shall be presided over by the Vice-Chancellor and in his/her absence by a member chosen by the members present;

(g) If an urgent action by the Executive Council becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Executive Council. The decisions so

taken shall not be valid unless passed by a simple majority. Such decisions shall be forthwith intimated to all the members of the Executive Council. In case the Executive Council fails to take a decision the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

22. ***The Academic and Activity Council.—***

(i) The Academic and Activity Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Regulation, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University;

(ii) The Academic and Activity Council shall consist of the following persons namely:

(a) The Vice-Chancellor who shall be the Chairperson;

(b) Dean of Faculties;

(c) Director, Student and Youth Welfare, Department of Art, Culture and Youth, Government of Bihar;

(d) Director, Higher Education, Department of Education, Government of Bihar;

(e) Representative from State Sports Academy, Rajgir, Nalanda (not below the rank of Deputy Director);

(f) Nominee of Indian Olympic Association;

(g) Four members of the teaching staff; one each respectively representing the Professor, Associate and Assistant Professors of University Departments of Sports/other Physical Education Colleges nominated by the Vice-Chancellor for the terms specified;

(h) Three persons from amongst sports persons of repute or men of letters or members of the learned profession or eminent public men, nominated by the Chancellor;

(iii) The term of members other than ex-officio members and those whose term is specified by the clause (h) of sub-section (ii) shall be three years;

(a) Subject to the provisions of the Act, Statutes and Regulations and overall supervision of the Executive Council, Academic and Activity Council shall manage the academic affairs and activity of the University and in particular shall exercise and perform the following powers and functions namely:

I. To promote research under the University and to require from time to time, reports on such research;

II. To consider proposals submitted by the faculties;

III. To recommend stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards in accordance with the Regulations and such other conditions as may be attached to the awards;

IV. To approve the syllabus of the prescribed courses of Study;

V. To approve or revise lists of prescribed or recommended text books and to publish the same and syllabus of the prescribed courses of study;

VI. To perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper

carrying out of the provisions of this Act and the Regulations made thereunder;

VII. To report on any matter referred or delegated to it by the General Council or the Executive Council;

VIII. To make recommendations to the Executive Council with regard to the creation, abolition or classification of posts in the University and the emoluments payable and the duties attached thereto;

IX. To formulate and modify or revise schemes for the organization of the faculties, and to assign to such faculties their respective subjects and also to report to the Executive Council as to the expediency of the abolition or sub-division of any faculty or the combination of one faculty with another;

X. To suggest policies for admissions to the University;

XI. To recommend recognition of degrees of other Universities and Institutions and to determine their equivalence in relation to the certificates, diplomas and degrees of the University;

XII. To fix subject to any conditions accepted by the General Council, the time, mode and conditions of competition for Fellowships, Scholarships and other prizes and to recommend for the award of the same;

XIII. To make recommendations to the Executive Council in regard to the appointment of examiners and if necessary, their removal and fixation of their fees, emoluments and travelling and other expenses;

XIV. To recommend arrangements for the conduct of examinations and dates for holding them;

XV. To declare or review the result of the various examinations or to appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honours, licenses, titles and marks of honours;

XVI. To approve such forms and registers as are from time to time, required by the Regulations;

(b) The Academic and Activity Council shall meet as often as may be necessary, but not less than two times during an academic year as defined in Statute;

I. One half of the existing members of Academic and Activity Council shall form the quorum for a meeting of the Academic and Activity Council;

II. In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail;

III. Each member of the Academic and Activity Council, including the Chairperson of Academic and Activity Council, have one vote and if there be an equality of votes on any question to be determined by the Academic and Activity Council, the Chairperson of the Academic and Activity Council, or as the case may be, the member

presiding over the meetings, shall in addition, have a casting vote;

IV. Every meeting of the Academic and Activity Council shall be presided over by the Vice Chancellor and in his/her absence by a member shall be chosen in the meeting to preside on the occasion;

V. If an urgent action by the Academic and Activity Council becomes necessary, the Chairperson of the Academic and Activity Council may permit the business to be transacted by the circulation of papers among the members of the Academic and Activity Council. The decision taken shall not be valid unless passed by a simple majority. The decision so taken shall forthwith be intimated to all the members of the Academic and Activity Council. In case the Academic and Activity Council fails to take decision the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final;

(c) All matters pertaining to Statutes, Regulations, Rules and other relevant decisions of the Academic and Activity Council shall be communicated to the General Council through the Executive Council.

23. ***The Board of Affiliation.***—

(i) The Board of Affiliation shall be responsible for affiliating Institutions to the University;

(ii) The constitution of the Board of Affiliation, the term of office of its members and its functions shall be prescribed by the Statutes.

24. ***The Finance Committee.***—The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be prescribed by the Statutes.

25. ***Other Authorities of University.***—The Constitution, powers and functions of other Authorities, as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University, shall be prescribed by the Statutes.

26. ***Power to make the Statutes.***—Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:

(i) The constitution, powers and functions of Authorities and other bodies of the University, as may be constituted from time to time;

(ii) The appointment and continuance in office of members of the said authorities and bodies, filling up of vacancies of members, and all other matters relating to those authorities and other bodies for which it may be necessary or desirable to provide;

(iii) The appointment, powers and duties of the officers of the University and their emoluments;

(iv) The appointment of teachers, academic staff and other employees of the University, the emoluments and conditions of service;

(v) The appointment of teachers and academic staff working in any other University or organization for a specific period for undertaking a joint project;

(vi) The conditions of service of employees including provisions for pension, insurance, provident fund, the manner of termination of service and disciplinary action;

(vii) The principles governing the seniority of service of the employees of the University;

(viii) The procedure for arbitration in cases of dispute between employees or students and the University;

(ix) The procedure for appeal to the Executive Council by any employee or student against the action of any officer or authority of the University;

(x) The conferment of autonomous status of an Institution or a Department;

(xi) The establishment and abolition of Institutions and Departments;

(xii) The conferment of honorary degrees;

(xiii) The conferment and withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;

(xiv) The management of Colleges, Institutions, Study Centres and Outlying Campuses established and maintained by the University;

(xv) The delegation of powers vested in the authorities or officers of the University;

(xvi) The maintenance of discipline among the employees and students;

(xvii) The Institution of fellowships, scholarships, studentship, medals and prizes and other incentives; the delegation of powers vested in the authorities or the officers of the University;

(xviii) The constitution of pension or provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of the employees of the University;

(xix) The principles governing the seniority of employees of the University; and

(xx) All other matters which by this Act are to be, or may be, provided for by the Statutes and Regulations.

27. ***Statutes, how to be made***.—

(i) The first Statute shall be made by the Government on the recommendation of General Council;

(ii) The Executive Council may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal any Statutes referred to in sub-section (i);

Provided that the Executive Council shall not make, amend or repeal any Statutes affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on proposed changes, and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council;

(iii) Every new Statutes or Statutes amending or repealing existing Statutes shall require the approval of the Chancellor, who may assent thereto or withhold his assent or remit it to the Executive Council for reconsideration;

Provided that if there be any financial implication which may arise under the Statute, it shall not be enforceable unless prior approval of the State Government has been obtained.

28. ***Regulation***.—The authorities of the University may make Regulations consistent with this Act, and the Statutes, in the manner prescribed by the Statutes for the conduct of their own business and that of the committees, if any, appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes and for such matters as may be prescribed by the Statutes, provided that if there be any financial implication which may arise under the regulation, it shall not be enforceable unless prior approval of the State government has been obtained.

29. ***Annual Report.—***

(i) The Annual Report of the University shall be prepared under the directions of Executive Council, which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its objects and shall be submitted to the General Council on or before such date as may be prescribed by the Statutes and the General Council shall consider the Report in its Annual Meeting;

(ii) The General Council shall submit the Annual Report to the Chancellor along with its comments, if any;

(iii) A copy of the Annual Report, as prepared under sub-section (i), shall also be submitted to the Government.

30. ***Annual Accounts and Audit.—***

(i) The annual accounts and balance-sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council at least once every year and at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Comptroller and Auditor-General of India or by such persons as he/she may authorize in his/her behalf;

(ii) A copy of the annual accounts together with the audit report thereon shall be submitted to the General Council and the Chancellor through the Government, along with observations if any of the Executive Council;

(iii) Any observation made by the Chancellor on the annual accounts shall be brought to the notice of the General Council and the observations of the General Council, if any, shall, after being considered by the Executive Council, be submitted to the Chancellor;

(iv) A copy of the annual accounts together with the audit report, as submitted to the Chancellor, shall also be submitted to the Government.

31. ***Funds of the University.—***

(i) The University shall have general fund to which the following shall be credited:–

a) Its Income from fees, grants, donation and gifts if any;

b) Any contribution or grant made by national/international agencies, the Central Government, University Grant Commission, All India Council for Sports Education or like authority, any local authorities or any corporation owned or controlled by the Government and;

c) Endowments and other receipts;

(ii) The University may have such other funds as prescribed in the Statutes;

(iii) The fund and all moneys of the University shall be maintained in such a manner as may be prescribed by the Statutes;

(iv) The Government may, every year, provide Grant-in Aid to facilitate and promote studies and research and for carrying out the objectives of the University.

32. ***Furnishing of Returns.***—The University shall furnish to the State Government such returns or other information with respect to its property or activities, within such period, as the State Government may, from time to time, require.

33. ***Condition of Service of Employees, etc.*** .—The condition of the service of the officers and staff and other employees of the University shall be as specified by the Statutes and Regulations.

34. ***Right to Appeal.***—Every employee or student of the University or of a College or an Institution or a Study Centre established or maintained by the University shall,

notwithstanding anything contained in this Act, have a right to appeal within such time, as may be prescribed by the Statutes to the Chancellor against the decision of any officer or authority of the University, or of the Principal or the Management of any College or Institution or Study Centre, as the case may be, and thereupon, the Chancellor may confirm, modify or reverse the decision appealed against.

35. ***Provident and Pension Funds***.—The University shall constitute for the benefit of its employee such provident fund or pension fund or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes in consultation with the Government.

36. ***Disputes as to Constitution of Authorities and Bodies***.—If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

37. ***Filling of Casual Vacancies***.—All casual vacancies among the members (other than *ex officio* members) of any Authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be, by the person or body who appoints, elects or co-opts the member whose place has become vacant and the persons appointed, elected or co-opted to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he/she fills would have been a member.

38. ***Proceedings of Authorities or Bodies not invalidated by Vacancies***.—No act or proceedings of any Authority or other body of the University shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

39. ***Protection of Action taken in Good Faith***.—No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or other employee or against any authority of the University for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act, the Statutes or the Ordinances and Regulations.

40. ***Mode of Proof of University Record***.—Notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872 or in any other law for the time being in force, a copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or other body of the University, or any other document in possession of the University, or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as *prima facie* evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

41. ***Power to remove difficulties***.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by an order published in the official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty; Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of three years from the commencement of this Act.

42. ***Transitional Provisions***.—*Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes,—*

(a) The first Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in such manner and on such conditions as may be deemed fit and the said officer shall hold office for such term, not exceeding three years or as may be specified by the Chancellor;

(b) The first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the Chancellor and each of the said officers shall hold office for a term of three years;

(c) The first General Council and the first Executive Council shall consist of not more than Eleven members and Nine members, respectively, who shall be nominated by the Chancellor and shall hold office for a term of three years; and

(d) The first Academic and Activity Council shall consist of not more than Nine members, who shall be nominated by the Chancellor and they shall hold office for a term of three years.

Provided that if any vacancy occurs in the above offices or authorities, the same shall be filled by appointment or nomination, as the case may be, by the Chancellor and the person so appointed or nominated shall hold office for so long as the officer or member in whose place he/she is appointed or nominated would have held office, if such vacancy had not occurred.

P.C.CHOUDHARY,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 678-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in